खण्ड-103, अंक-1
सोमवार, 16 आषाढ़, शक संवत् 1874
(7 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 103 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार ७ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन , श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराव, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बक्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दशोनराम, श्री
दलबहादुर सिंह श्री
दातारामं, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देव मूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह कुंवर, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह कुंवर, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अघमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राज नारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम श्री
रामसुभग वर्मा श्री
रामसुमेर श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद श्री
रामहरख यादव श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट श्री
लक्ष्मण राव कौल, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लतीफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर पण्ठारी, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंश नारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
वृजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिव नारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवरतन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

श्री झारखंडे राय ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

संसद भवन

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१–श्री रामअधार तिवारी (ज़िला प्रतापगढ़)––[वापिस लिया गया।]

*२–श्री रामअधार तिवारी––[८ जुलाई, १९५२, के लिये संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती ज़िले में राजनीतिक पीड़ितों के लिये ट्रकों के पर्मिट

*३–श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)––क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती ज़िले में जिन-जिन राजनीतिक पीड़ितों को ट्रक के परमिट दिये गये हैं उनके नाम और पते क्या हैं?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा) ––आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२ पर)

*४–श्री अब्दुल मुईज़ खां––क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ट्रकों के परमिट उपरोक्त राजनीतिक पीड़ितों को दिये गये हैं उनके नम्बर क्या हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा––गाड़ियों की रजिस्ट्री संख्या संलग्न सूची के नम्बर १ खाना १ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२ पर)

*श्री अब्दुल मुईज़ खां––उपरोक्त ट्रकों में से कितनी इस समय चल रही हैं और कितनों का परमिट कैंसल किया गया है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा––इनमें से कोई भी परमिट कैंसिल (रद्द) नहीं किया गया है।

अल्मोड़ा तथा नैनीताल ज़िलों में ओलों से खेती तथा फ़लों को हानि

*६–श्री खुशी राम (ज़िला अल्मोड़ा)––क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल में कुमायूं डिवीजन के अल्मोड़ा-नैनीताल जिलों के कई क्षेत्रों में कई बार ओले पड़ने से आलू और गेहूं की खेती व बगीचों के फलों में नुक़सान हुआ है?

माल मंत्री (श्री चरन सिंह)––जी हां।

*७–श्री खुशी राम––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ओलों के गिरने से विशेष नुक़सान उपरोक्त जिलों के किस किस स्थान पर हुआ?

श्री चरण सिंह---ओलों के गिरने से अल्मोड़ा जिले की सभी तहसीलों में तथा नैनीताल जिले की तहसील नैनीताल में फसल को हानि पहुंची । जिन स्थानों में फसल को विशेष हानि पहुंची उसका विवरण इस प्रकार है :

जिला अल्मोड़ा

१---तहसील पिथोरागढ़	..	पट्टी बेल, भेरंग, धुंगराऊ, तल्ला, मल्ला, बड़ाऊ ।
२---तहसील रानीखेत	..	पट्टी तल्ला-मल्ला, बिचल्ला, चौकोट तथा पट्टी सल्ट व पल्ला नया ।
३---तहसील अल्मोड़ा	..	पट्टी दुग, पल्ला अठीगांव, नाकुरी ।
४---तहसील चम्पावत	..	पट्टी तल्ला रौ व अस्ती ।

जिला नैनीताल

तहसील नैनीताल ... पट्टी पूर्वी आगर के २३ ग्रामों में ।

*८---**श्री खुशी राम**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वह इन खेतिहर किसानों व बाग़ बगीचों वालों की क्षति पूर्ति के लिये कोई प्रबंध करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह---अल्मोड़ा जिले के २०९ गांवों में मालगुजारी में २,७७८ रुपये की छूट दी गयी है । शेष ३९ गांवों में भूमि व्यवस्था कमिश्नर से जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आज्ञा जारी की जायगी । इसके अतिरिक्त पिथोरागढ़ तहसील के पीड़ित क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक सहायता के हेतु टेस्ट वर्क्स (Test works) तथा सड़कें बनाये जाने का काम आरम्भ किया गया है तथा जिले के अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी दुकानों द्वारा सस्ता गल्ला वितरण किये जाने का प्रबंध किया गया है और जिले के समस्त पीड़ित क्षेत्रों में सरकारी रक़म की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

नैनीताल जिले में तहसील सदर के १७ गांवों में जिन में रबी मे ज्यादा नुक़सान हुआ है वहां नुक़सान आठ आने से कम होने पर भी लगान व मालगुजारी के माफी व मुलतवी के सिलसिले मे नक्शे बनाये जा रहे हैं । फारेस्ट, पंचायत रक़म व कृषि विभाग की रक़म जो किसानों पर वाजिब है उसकी वसूली नवम्बर, १९५२ तक मुलतवी करने की कार्यवाही की जा रही है । किसानों को तक़ावी देने का भी प्रबंध किया जा रहा है ।

श्री खुशी राम---क्या माननीय माल मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ओलों से पीड़ित लोगों के लिये जो सड़कों का काम जारी किया गया है वह कहां कहां पर यानी किन किन स्थानों पर किया गया है ?

श्री चरण सिंह---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रानीखेत तहसील के तल्ला---मल्ली, बिचल्ला, चौकोट के किस हिस्से में कितना रुपया वहां सड़कें वगैरह बनवाने में खर्च करना चाहती है ?

श्री चरण सिंह---किस तहसील की किस पट्टी में कितना रुपया खर्च किया जायगा यह जिलाधीश के ऊपर है । इतनी तफसील में न यहां से तय किया जाता है और न उसूली तौर पर वहां से मालूम किया जाता है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह काम करीब एक दो साल के अन्दर होगा या कब होने वाला है ?

श्री चरण सिंह---यह काम जल्दी पूरा हो जायगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतायेगी कि काम अभी शुरू भी हुआ है या नहीं ?

श्री चरण सिंह---जिन खास गांवों का आपने नाम लिया है उनमें शुरू हुआ है या नहीं हुआ है यह मैं नहीं कह सकता हूं । लेकिन जिले में शुरू हो गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय माल मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल में पट्टी रामगढ़ और पट्टी मल्ली कुटौली में कोई नुकसान हुआ है या नहीं ?

श्री चरण सिंह---इतना नुक़सान नहीं हुआ है जिसमें माफी (रेमिशन) की नौबत आये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय माल मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि रामगढ़-मुक्तेश्वर रोड नैनीताल तहसील के उसी क्षेत्र से गुजरती है जहां पर आंधी पड़ने से विशेषरूप से नुक़सान हुआ है ?

श्री चरण सिंह---मैं अर्ज कर चुका हूं कि पट्टी पूर्वी आगर के २३ गांवों में बहुत नुक़सान हुआ है । तहसील सदर के १७ गांवों में अगरचे विशेष रूप से नुक़सान नहीं हुआ है यानी आठ आने से कम हुआ है फिर भी गवर्नमेंट रेमिशन देने पर गौर कर रही है । इसके अलावा और जगहों की बाबत आप का यह ख्याल है कि इतना नुक़सान हुआ है लेकिन हमारे अफसरों और गवर्नमेंट का यह ख्याल है कि इतना नुक़सान नहीं हुआ है जिससे वह माफी के मुस्तहक़ समझे जायं ।

श्री खुशी राम---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह भूमि व्यवस्था की जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री चरण सिंह---मैं उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट जल्द आ जायगी । लेकिन रिपोर्ट के आने में यदि कोई देर हो तब भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि जिलाधीश जो इब्तदाई रिपोर्ट भेजता है उसके मुताबिक वसूली नहीं होती है । उसके बाद फिर वह फाइनल रिपोर्ट भेजता है । इस वजह से अगर फाइनल रिपोर्ट के आने में देर हो जाय या लैंड रिफार्म्स कमिश्नर की रिपोर्ट के आने में देर हो जाय तो उससे किसानों को कोई हानि नहीं होती ।

*९—११—श्री नारायण दत्त तिवारी—[१७ जुलाई, १९५२, के लिये संख्या ७-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (ज़िला आजमगढ़)—(२१ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।)

"अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी, बनारस, के बंगले की ज़मीन के लिये निर्धारित धन

* १३—श्री बेचन राम गुप्त—(ज़िला बनारस)क्या सरकार ने "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्दर कुछ रुपया असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी, बनारस के बंगले के अन्दर जमीन के लिये निर्धारित किया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री बेचन राम गुप्त—क्या सरकार को पता है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी, सरकारी हल बैल से खेती करते हैं ?

*श्री विचित्र नारायण शर्मा—सरकार को इसका पता नहीं है।

*१४—श्री बेचनराम गप्त—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि उक्त आफिसर आफिस के बंगले के जिस हिस्से में रहते हैं उसका कितना किराया प्रति मास देते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—२६ रुपया प्रतिमास किराया देते हैं।

श्री बेचन राम गुप्त— क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, के वेतन को ध्यान में रखते हुये और जिस इमारत में वह रहते हैं उसको देखते हुये २६ रुपया किराया जो है वह बहुत कम है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सरकार को, अगर कोई सस्ते मकान मिलते हैं, तो कोई एतराज नहीं है।

बस्ती ज़िले में सूखे क्षेत्रों को सरकारी सहायता

*१५—श्री रामलखन मिश्र—(ज़िला बस्ती) क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले का कौन-कौन भाग सूखा क्षेत्र माना गया है ?

श्री चरण सिंह—पिछले दो वर्षों से लगातार सूखा पड़ने के कारण बस्ती जिले के उत्तरी भाग में, जिसे साधारणतः राप्ती-पार (Trans Rapti) के नाम से पुकारा जाता है, अन्न संकट की स्थिति है । इस भाग में बांसी तथा डोमरियागंज की तहसीलें, तहसील खलीलाबाद का कुछ भाग तथा तहसील बस्ती का उत्तरी भाग शामिल है ।

*१६—श्री रामलखन मिश्र—इन सूखे क्षेत्रों में अब तक किस प्रकार की सहायता दी गयी है और भविष्य में किस प्रकार की और कितनी सहायता देने का सरकार का विचार है ?

श्री चरण सिंह---इस सूखे के क्षेत्र में अभाव ग्रस्त जनता की सहायता तथा भविष्य में ऐसी संकटावस्था के पुनरावर्तन के निवारण के लिये सरकार ने जो कार्य किये हैं उनकी एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है । इन उपायों के अतिरिक्त सरकार आगे भी यथासंभव सभी उपाय काम में लायेगी जिससे विपदाग्रस्त व्यक्तियों का दुख कष्ट दूर किया जा सके।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८ पर।)

श्री रामलखन मिश्र---अपने उत्तर में माननीय भाल मंत्री ने "यथासंभव" सहायता देने का एक संकेत किया है । तो यह गर्भांकित है । मैं स्पष्ट चाहूंगा कि उसका रूप रेखा क्या होगी, बरसात के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में क्या स्वरूप होगा ?

श्री चरण सिंह---मैंने भविष्य के लिये "यथासम्भव" शब्द का इस्तेमाल किया है । जितना गवर्नमेंट की शक्ति के मुताबिक मुमकिन हो।

खलीलाबाद, ज़िला बस्ती के गल्ला गोदाम के इंचार्ज का तबादला

*१७--श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)---क्या यह सच है कि खलीलाबाद, जिला बस्ती गल्ला गोदाम के इंचार्ज का तबादला जिला कृषि अधिकारी ने खलीलाबाद से हैरिया गल्ला गोदाम पर दो माह पूर्व किया था, किन्तु यह तबादला संचालक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश ने तार द्वारा कैन्सिल कर दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरण सिंह---जी हां, उस तबादिले को शासनीय कारणों से बाद में रोक दिया गया।

*१८--रामसुन्दर राम---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री शम्भू सिंह, ग्राम पटखौली, खलीलाबाद ने कोई दावा उपरोक्त इंचार्ज के ऊपर किया है ? यदि हां, तो वह दावा क्या है ?

श्री चरण सिंह---सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

जौनपुर ज़िले के न्यायालयों में अप्रैल १९४७ से मार्च १९५२ तक हरिजनों की नियुक्ति

*१९--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के न्यायालयों (सिविल कोर्ट और कलेक्टरी) में अप्रैल सन् १९४७ ई०, से मार्च सन् १९५२ ई० तक सुरक्षित सीटों के आधार पर कितने हरिजन प्रत्येक विभाग में रक्खे गये हैं ? यदि नहीं रक्खे गये, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है अतएव उत्तर दो हफ्ते बाद दिया जाएगा।

*२०-२२--श्री रामलाल (जिला बस्ती)---[२१ जुलाई, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*२३-२४--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---[११ जुलाई, १९५२, के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

*२५–श्री रामसुभग वर्मा—[१० जुलाई, १९५२, के लिये सं० २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

[तारांकित प्रश्न संख्या २६–२८ के लिये पृष्ठ संख्या १४ और १५ पर प्रश्न संख्या ४४ के उपरान्त देखिए]

†२९-३१–श्री भगवान दीन मिश्र (जिला बहराइच)—[१५ जुलाई, १९५२ के लिये सं० ९–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त चकबन्दी की योजना

†३२–श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन के पश्चात् अब सबसे बड़ी मांग कृषकों की चकबन्दी है ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*३३–श्री राजाराम शर्मा—क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, खेतों की चकबंदी का विषय सरकार के विचाराधीन है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चकबन्दी के सिलसिले में सरकार आम जनता की राय लेने के लिये तैयार है ?

श्री चरण सिंह—इतना बड़ा मसला नहीं है जिसमें रिफ्रेन्डम [जनमत] किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी की योजना में इकौनोमिक होल्डिंग्स [लाभकर जोत] और अनइकौनोमिक होल्डिंग्स [आलाभकर जोत] दोनों योजनायें शामिल हैं ?

श्री चरण सिंह—आप तो ऐसी तफसील की बात पूंछ रहे हैं, जब कि सारा विषय ही विचाराधीन है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार लाजमी चकबन्दी करने का भी विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, चकबंदी बिल्कुल लाजमी नहीं हो सकती।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि किन-किन जिलों में चकबन्दी अब तक हुई है ?

श्री चरण सिंह—पूरी चकबंदी अभी तक किसी भी जिले में नहीं हुई है। कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, सीतापुर और इटावा वगैरह में ही लागू था और बाकी जिलों में यह ऐक्ट लागू नहीं किया गया था। इन सब जिलों में जो कि अभी मैंने सात आठ गिनाये हैं उनमें भी यह नहीं है कि सारे जिले में चकबन्दी हो गई हो बल्कि कुछ गांवों में हुई है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—जिन मौजों की चकबन्दी हो चुकी है, उनमें सिर्फ अमलदरामद की कार्यवाही बाकी है। तो क्या उनको जल्द करने का हुक्म हो जायगा ?

श्री चरण सिंह—कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट के मातहत जो सात जिलों में कार्यवाही चल रही थी वह स्थगित हो चुकी है। लिहाजा जो भी कानूनी पोजीशन हो, उसके अनुसार अगर अमलदरामद हो सकता है तो हो जायगा और अगर नहीं हो सकता है तो नहीं होगा।

*३४—श्री राजाराम शर्मा—यदि हां, तो वह योजना शीघ्र से शीघ्र कब तक लागू करने का विचार है?

श्री चरण सिंह—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार सहकारी फार्म चकबंदी के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा खेतों की चकबंदी करना उक्त अधिनियम की धारा ११८(२)(छ) के अनुसार गांव सभा का कर्त्तव्य होगा। परन्तु वर्तमान यू० पी० कन्सीलीडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट, १९३९ में काफी संशोधन की आवश्यकता होगी और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट, १९३९ ई० का संशोधन करने का सरकार का कब तक विचार है?

श्री चरण सिंह—ऐसे मामलों में कोई अवधि तो मुकर्रर नहीं की जा सकती है। जैसा मैंने जवाब दिया, कंसालिडेशन आफ होल्डिंग (चक बन्दी) का सारा मामला सरकार के विचाराधीन है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की दफा ११८ के मातहत कंसालिडेशन आफ होल्डिंग के सिलसिले में अभी अधिनियम भी नहीं बने हैं। अगर मौजूदा नियमों से काम चल गया तो मुमकिन है कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट के संशोधन की जरूरत न पड़े।

राजा वीरेन्द्रशाह—सरकार को यह कैसे सूचना हुई कि किसानों ने चकबन्दी के बारे में प्रार्थना की है?

श्री चरण सिंह—किसानों के जो नुमाइन्दे यहां बैठे हैं उनसे भी मालूम हुआ है और जहां किसानों से साक्षात् करने का मौका होता है वहां उनसे भी मालूम होता है।

जमींदारी उन्मूलन कार्य के लिए पदों की स्थापना तथा असिस्टेंट कम्पेनसेशन कमिश्नरों की नियुक्तियां

*३५—श्री भगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि प्रांत में सभी असिस्टेंट कम्पेनसेशन कमिश्नरों की नियुक्तियां हो चुकी हैं? यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या हैं और वे किन-किन पदों से इस नये पद पर लाये गये हैं?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, १३ रीजनल असिस्टेंट कम्पेनसेशन कमिश्नरों की नियुक्ति हो चुकी है और एक पद अभी रिक्त है। प्रश्न के दूसरे भाग की सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६० पर)

*३६—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस नवीन विभाग में जो जमींदारी विनाश के बाद बनाया जा रहा है किन-किन पदों की स्थापना हुई है तथा हर पद पर कितने कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं?

श्री चरण सिंह—जमींदारी उन्मूलन क बाद दो श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी। प्रथम श्रेणी में वे कर्मचारी होंगे जो प्रतिकर निर्धारण के लिये नियुक्त होंगे तथा द्वितीय श्रेणी में वे कर्मचारी होंगे जो लगान वसूली के लिये नियुक्त होंगे। इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत जिन-जिन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई है या होगी उसकी सूचना सम्बद्ध सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६१ पर)

*३७—**श्री गेंदा सिंह** (ज़िला देवरिया)—[१० जुलाई, १९५२ के लिये संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गन्ना विकास विभाग के कर्मचारियों की श्रेणियां और उनकी संख्या तथा उनका वेतन-क्रम

*३८—**श्री गेंदा सिंह**—क्या सरकार गन्ना विकास विभाग में काम करने वालों की श्रेणियां और उनकी संख्या तथा उनके वेतनों की दरें बताने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—गन्ना विकास विभाग, में काम करने वालों की श्रेणियां, उनकी संख्या तथा उनके वेतनों की दरें संलग्न सूची में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६२ पर)

श्री गेंदा सिंह—मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सुपरवाइज़र्स में सीड सुपरवाइजरों और सुपरिवाइज़रों की तनख्वाह में इतनी असमानता क्यों है ?

श्री चरण सिंह—राज्य कर्मचारियों की तनख्वाहों में असमानता उनक कर्त्तव्य और योग्यता के कारण होती है।

श्री गेंदा सिंह—क्या कामदारों का वेतन बढ़ाने का सवाल माननीय मंत्री जी के सामने विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह— जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५१-५२ में कितनी गन्ना विकास समितियां काम कर रही थीं ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। पहले से नोटिस मिल जाता तो मैं बतला देता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पिछले बजट (सप्लीमेंन्ट्री मेमोरेंडम) में जो ४०० कामदारों के रिट्रेन्च [छटनी] करने की योजना थी वह ड्राप (अपास्त) कर दी गई है।

श्री चरण सिंह—मैंने यह अर्ज किया था कि ५ वर्षीय योजना अब तक सन् ५२ तक चली है और ३१ मार्च, सन् ५३ तक वह रहेगी। लिहाजा उसके ड्राप होने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये जो केन कमिश्नर, डेवेलपमेंट कोआर्डिनेशन आफिसर, मार्केटिंग कोआर्डिनेशन आफिसर,

असिस्टेंट केन कमिश्नर और रेंज कोआर्डिनेशन आफिसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर बड़ी-बड़ी पोस्ट्स हैं उन सबका रखना सरकार क्या अब भी आवश्यक समझती है ?

श्री चरण सिंह—आवश्यकता है, तभी तो सरकार रक्खे हुये हैं ।

*३९—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीनी उद्योग से जो आमदनी केन्द्रीय सरकार को है उससे कितनी सहायता राज्य को इस मद में होती है ?

श्री चरण सिंह—गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, को केन्द्रीय सरकार से इन्डियन सेन्ट्रल शूगर केन कमेटी द्वारा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६ लाख रुपया सालाना की सहायता मिलती है ।

सरकारी ट्रैक्टर विभाग लखनऊ, में चोरियां

*४०—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिलाफैज़ाबाद)—क्या सरकार को पता है कि सरकारी ट्रैक्टर विभाग, लखनऊ, में सरकारी माल की कई बार चोरी हुई है ?

*४१—क्या सरकार ने इन मामलों की कोई जांच की ? यदि हां, तो उस जांच का क्या फल निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चरण सिंह—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और बहुत शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय माल मंत्री कोई निश्चित तारीख बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—मैं तारीख रख सकता तो तारीख ही रख देता । इसमें लिखा हुआ है कि बहुत शीघ्र ही पेश की जायंगी ।

*४२—४४—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—[२१ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

रबी १३५९ फस्ली में ओले पड़ने के कारण लगान में छूट

*४६—श्री रणञ्जय सिंह अनुपस्थित (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि रबी, १३५९ फसली में ओले पड़ने से राज्य में फसल को जो हानि हुई है उसके लिये राज्य सरकार का लगान में छूट देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक इसकी घोषणा कर दी जायगी ?

श्री चरण सिंह—सरकार के पास १६ जिलों से ओलों द्वारा रबी की फसल को हानि पहुंचने की सूचनायें आई थीं । उनमें से अब तक ८ जिलों में लगान तथा मालगुजारी की छूट की आज्ञा जारी कर दी गयी है बाक़ी जिलों में छूट के प्रस्ताव या तो सरकार के विचाराधीन हैं या जिलाधीशों से उनके अंतिम प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है । सविधानतः भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने लगान की वसूली को स्थगित करने के लिये आदेश दे दिये हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या २६ राजा वीरेन्द्र शाह ने पूछा ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस एजेंसी से सरकार यह पता लगाती है कि कितना नुकसान हुआ है ? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर ही छूट दी जाती है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट मांगी जाती है ?

श्री चरण सिंह—रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर ही छट दी जाती है क्योंकि रेवन्यू डिपार्टमेंट के ही अधिकारी गांव-गांव में मौजूद हैं और किसी दूसरे विभाग के अधिकारी गांव-गांव में मौजूद नहीं हैं ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय माल मंत्री जी को यह पता है कि जिन क्षेत्रों में नेचुरल कैलेमिटी की वजह से छूट दी गयी है वह छट जमींदार वसूल कर रहे हैं और सरकार भी मालगुजारी वसूल कर रही है ?

श्री चरण सिंह—जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है यह तो मुझको मालूम है कि गवर्नमेंट वसूल नहीं कर रही है । जहां तक जमींदारों का ताल्लुक है मुझको इल्म नहीं है कि वे ऐसा कर रहे हैं । लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा कर नहीं रहे हैं । अगर कहीं कर रहे हैं तो मैं बहुत कृतज्ञ हूंगा अगर माननीय सदस्य मुझको इस तरह की सूचना दें ।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिन जिलों में ओले पड़ने के कारण आठ आने से कम यानी पांच आने या छः आने फसल का नुक्सान हुआ है, उसके मुताल्लिक सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है और उनको क्या सहायता दी गयी है, खास कर गाजीपुर जिले के मुताल्लिक जहां पर ...

अध्यक्ष—आप प्रश्न कर सकते हैं, व्याख्यान नहीं दे सकते ।

श्री कमला सिंह—इतना ही सिर्फ बतलाया जाय कि पांच आने, छः आने या आठ आने से कम जहां नुकसान हुआ है, उसके मुताल्लिक सरकार ने क्या सहायता का प्रबन्ध किया है ?

श्री चरण सिंह—नियम के अनुसार जमुनापार और बुन्देलखंड के इलाकों को छोड़कर प्रदेश के दूसरे भागों में अगर आठ आने से कम नुकसान होता है तो किसान किसी छूट के या रियायत के मुस्तहक नहीं हैं । इस लिये पांच आने या छः आने जहां नुकसान हुआ है वहां छूट नहीं दी गयी है ।

*२७—श्री रणञ्जय सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रबी १३५९ फसली में ओले पड़ने से अमेठी तहसील (जिला सुल्तानपुर) में भी फसल की हानि हुई है ? यदि हां, तो उसके लिये लगान में कब और कितनी छूट दी जायगी ?

*श्री चरण सिंह—जी हां । अमेठी तहसील में ओलों से क्षति पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है । लगभग १२२ गांवों को विशेष हानि पहुंची है जो रुपये में आठ आने से लेकर १६ आने तक है । इन गांवों में लगान तथा मालगुजारी में क्रमशः ५९,७५२ रुपये ४ आने और २५,१३७ रुपये ५ आने की छूट दे दी गयी है ।

*२८—श्री रणञ्जय सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उक्त अमेठी तहसील के गुंडूर ग्राम में आग लग जाने से लगभग ७० घर भस्म हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पीड़ितों को तकावी देने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह—जी हां । गुंडूर ग्राम में आग लगने से ७० घरों को हानि पहुंची । जिलाधीश नें पीड़ित व्यक्तियों को सूचना दी कि यदि उन्हें तकावी की आवश्यकता हो तो उसके लिए प्रार्थना पत्र दें पर किसी ने ऐसा नहीं किया । यदि कोई व्यक्ति तकावी की प्रार्थना करेगा, तो उसे उचित सहायता दी जायगी ।

---

†तारांकित प्रश्न २७—२८ राजा बीरेन्द्र शाह ने पूछे ।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह ७० घर जो जल गये हैं, उनकी इन्क्वायरी के लिये कोई सरकारी आफिसर वहां देखने गया था ?

श्री चरण सिंह---जब उनसे यह कहा गया कि आप तकावी लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं लेना चाहते हैं। जब यह प्रश्न पूछे गये तो फिर उनसे दुबारा पूछा गया, लेकिन वे लेना नहीं चाहते हैं। जिलाधीश ने यह भी लिखा है कि बहुत से लोग अपने मकान बनवा चुके हैं और उनको जरूरत नहीं है। उसमें खासतौर से यह तो नहीं है कि कोई मौके पर गया या नहीं गया लेकिन जिस तरह से जवाब आया है उससे मेरा अनुमान यह है कि कोई मौके पर गया जरूर है।

अतारांकित प्रश्न

तराई उपनिवेश के रुद्रपुर अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर चिकित्सा सामग्री तथा कर्मचारियों का भेजा जाना

१---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १६ फरवरी, सन् १९५२ ई० को तराई उपनिवेश के रुद्रपुर अस्पताल के भारत के प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन के दिन उस अस्पताल में कितना विविध सामान, औज़ार, दवा आदि अस्पताल के लिये खरीदा गया था ?

२---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उपर्युक्त रुद्रपुर अस्पताल के उद्घाटन समारोह के लिये नैनीताल के रामजे व क्रास्वेट अस्पताल व भुवाली सेनीटोरियम से कितना औजार व स्टाफ भेजा गया था ?

श्री चरण सिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है और बहुत शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी।

कानपुर कृषि कालेज में अध्यापकों की नियुक्तियां

३---श्री जटाशंकर शुक्ल (जिला उन्नाव)---क्या यह सच है कि जो जगहें कानपुर कृषि कालेज में स्थायी रूप से खाली होती हैं वे केवल उन्हीं सज्जनों को दी जाती हैं जो वहां पहले से अस्थायी रूप से कार्य करते आते हैं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, कृषि महाविद्यालय, कानपुर के अध्यापकों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के समर्थन पर होती है।

४---श्री जटाशंकर शुक्ल---क्या सरकार इस सभा में सदस्यों के सम्मुख एक ऐसी सूची रखेगी जिससे यह जानकारी हो सकेगी कि गत ५ वर्षों में कृषि कालेज, कानपुर में जो अध्यापक नियुक्त किये गये हैं, वे बाहर के हैं अथवा उसी कालेज के विद्यार्थी रह चुके हैं।

श्री चरण सिंह---सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६६ पर)

५---श्री जटाशंकर शुक्ल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो विद्यार्थी कानपुर कृषि कालेज से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनके लिये कौन से प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिले ?

श्री चरण सिंह---योग्यतानुसार उनको सरकारी पद दिये गये हैं।

६-श्री जटाशंकर शुक्ल---क्या सरकार का यह विचार है कि जो विद्यार्थी कानपुर कृषि कालेज से योग्यता पूर्वक ऊंची डिग्री ले चुके हैं उन्हें सरकारी नौकरी बजाय उन लोगों के जो विदेशी डिग्री पाये हुये हैं दी जावे?

श्री चरण सिंह---जी नहीं।

७-श्री जटाशंकर शुक्ल---क्या सरकार को ज्ञात है कि जो जगहें कानपुर अथवा अन्य कृषि कालेंजेज में खाली होती हैं उनमें नियुक्ति के हेतु जो विज्ञापन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से प्रकाशित होते हैं, उनमें ऐसी योग्यता के उम्मीदवार मांगे जाते हैं जो कानपुर के कृषि ग्रेजुएट समुदाय को हतोत्साह करते हैं?

श्री चरण सिंह---कृषि महाविद्यालय में नियुक्ति के लिये विज्ञापित योग्यता सम्बन्धित सेवा अधिनियम तथा आगरा विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार होती है। ऐसी अवस्था में किसी के प्रोत्साहित अथवा हतोत्साह होने का प्रश्न नहीं उठता।

८-१०-श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---(२१ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।)

११-१२-श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)-(२१ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।

सदस्य का सपथ ग्रहण करना

श्री लक्ष्मगदत भट्ट ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

किसानों पर जमीदारों तथा इटावा के एक राजा साहब के अत्याचारों के संबंध में दो कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

अध्यक्ष---मेरे पास इस वक्त दो कामरोको प्रस्तावों की सूचना आई है। मैं इनमें से एक को भी उचित नहीं समझता कि उनको पेश करने की इजाजत दी जाय।

पहला कामरोको प्रस्ताव जमींदार लोग जो अत्याचार किसानों पर करते चले आये हैं उसके संबंध में है। कल बजट पर जब बहस होगी इस सम्बन्ध में भी उस वक्त विचार किया जा सकता है। यह अस्पष्ट भी है कि कहां ज्यावती हुई है और वेस्टिंग (निहित होने) के बाद ही इसका कोई मौका है, इसका भी जिक्र नहीं है। इसके अस्पष्ट होने के कारण और कल बहस होने वाली है इन दो कारणों से मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता।

दूसरा काम रोको प्रस्ताव भी इटावा के एक राजा साहब के अत्याचारों के सम्बन्ध में है और यह भी इसी तरह का है। इसमें जो चार्ज (आरोप) लगाये गये हैं उनके संबंध में भी यही शंका हो सकती है कि आया यह वाकया ऐसा हुआ भी है या नहीं। इस संबंध में माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया है अगर गवर्नमेंट से पूछताछ कर लें या अल्प-सूचित प्रश्न के द्वारा मालूमात हासिल कर लें और उसके बाद अगर इस तरह के चार्जेज हों तो इसको फिर लाया जा सकता है, नहीं तो दूसरा मौका उनके लिये यह भी है कि अगर कोई ऐसे अत्याचार हुये हैं तो बजट के समय जो बहस होगी उसमें वह इस तरह के चार्जेज का जिक्र कर सकते हैं। यदि वह जिम्मेदारी के साथ पूछताछ करने के बाद चाहें तो प्रश्न के द्वारा भी मामला सदन के सामने ला सकते हैं। इस समय मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन विधेयक, १९४७ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन विधेयक, १९४७ ई०, पर, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की २९ अक्तूबर, सन् १९४८ ई०, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की २० जनवरी, सन् १९४९ ई०, की बैठक में पारित हुआ था, तत्पश्चात् विधेयक के राज्यपाल द्वारा कुछ संशोधनों की सिफारिश सहित वापस आने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उसे पुनः अपनी २७ सितम्बर, १९५१ ई०, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ सितम्बर, १९५१ ई०, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ५ मई, सन् १९५२ ई०, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का ८वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक, १९५२ ई०, पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक १९५२ ई०, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ मई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ मई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति ५ जून, सन् १९५२ ई०, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का १०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई० पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ मई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ मई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में पारित किया था राज्यपाल की अनुमति ५ जून, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई०, का उत्तर प्रदेश का ११ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) के विधेयक, १९५२ ई०, पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधाद मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों के) विधेयक, १९५२ ई०, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ मई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ मई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति ५ जून, सन् १९५२ ई०, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०, पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ मई, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ मई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति ५ जून, सन् १९५२ ई०, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का १३ वां अधिनियम बन गया।

विधान सभा की ८ जुलाई, १९५२, की बैठक के समय में परिवर्तन करने तथा जुलाई के आगामी शनिवारों को उपवेशन करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया (प्रोसीजर आफ दी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है और उक्त नियम के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार की बैठक नहीं हुआ करती। तथापि वार्षिक आय-व्ययक एवं विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को ३१ जुलाई, १९५२ से पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त नियम स्थगित कर दिया जाय तथा सदन की बैठक अपने नियमित समय पर १२, १९ और २६ जुलाई, १९५२ को भी होगी और यह भी संकल्प किया जाता है कि ८ जुलाई, १९५२ को सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक के स्थान में ४ बजे सायंकाल से ८ बजे सायंकाल तक हो।"

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि नियम १५३ (२) के अनुसार क्या माननीय सदन के नेता ने विरोधी दल के नेता से इस संकल्प को रखने के पहले राय भी ले ली है ?

अध्यक्ष—ये जो ग्रान्ट्स की डिमांड्स हैं, किस आर्डर में वे ली जावें, उसके संबंध में नियम है। और यह प्रस्ताव जो अभी पेश हुआ है वह एक नियम को स्थगित करने के संबंध में और किन-किन दिनों में उसके उपर विचार किया जायगा उसके संबंध में है और यह प्रस्ताव कि कोई नियम स्थगित किया जाय कोई भी माननीय सदस्य ला सकते हैं और उसके सम्बन्ध में क्या किया जाय यह भी रख सकते हैं। इससे और माननीय सदस्य के बताए नियम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मेरे ख़याल से नारायण दत्त जी ने जो आपत्ति उठायी है वह उनके लिये कभी बाधक हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर की इजाजत लेकर इस तरह के नियम को या संशोधन को लाना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि गवर्नर के मानी असल में गवर्नमेंट हुआ करते हैं। मगर विरोधी दल के सदस्यों के लिये बड़ी कठिनता हो अगर उनको इस सम्बन्ध में किसी भी संशोधन को लाने की इजाजत, बगैर हमसे कोई मशिवरा लिये हुये और हमारी इजाजत पाये हुये, न हो। यह जो आपके सामने तमाम कार्यक्रम दिया गया है यह तमाम इसलिये गवर्नर की ही स्वीकृति से दिया गया है। उसमें वह चीजें ऐसी ही रखी गयी हैं। यदि वह इस नियम को यहां लागू करना चाहें तो उनके लिये भविष्य में असुविधा हो सकती है।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह एक बहुत सीधा सा प्रस्ताव है। साधारणता हमारे सदन की बैठक ११ बजे से ५ बजे तक होनी चाहिये। शनिवार को कोई बैठक नहीं होती। पहले हमारा जो बजट थोड़े दिनों के लिये मंजूर हुआ था उसकी अवधि ३१ जुलाई

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

को खत्म हो जाती है। इसलिये जो इस समय बजट पेश किया जाने वाला है वह जिस रूप को भी धारण करे उस रूप में उसे ३१ जूलाई तक पास हो जाना है। अगर नहीं होता तो उससे सबके लिये कठिनता हो सकती है मय इस सदन के। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि हमारा कार्यक्रम इस तरह से हो ताकि बजट का जितना भी काम है तब तक वह सब पूरा हो सके। इस बात को पूरा करने के लिये हमें सबको मिल कर काम करना चाहिये, चाहे समालोचना किसी भी ढंग की हो। हमारे पास काफी समय होना चाहिये। इसी कारण यह प्रस्ताव रखा गया है। हमारे नियमों में केवल इतना ही है कि जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन बहस नहीं होगी। इस प्रकार कल ११ बजे से नियमानुकूल बहस हो सकती है। हम चाहते हैं कि माननीय सदस्यों को जितना समय बजट के देखने को मिल सके उतना ही अच्छा है। ३१ जुलाई तक हमें यह खत्म करना है दूसरे हर तरह की सुविधा भी हम माननीय सदस्यों को देना चाहते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये हमें यह आवश्यकता मालूम हुई कि बजाय ११ बजे से ५ बजे तक के ४ बजे सायंकाल से ८ बजे सायंकाल तक इस सदन की बैठक हो। कल ही आम बहस समाप्त न होगी वह २ दिन और होगी। नियमों में ३ दिन देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सदस्यों को जितना अधिक से अधिक समय हम दे सकें। दूसरे अगर हम इसे समय के भीतर पूरा करना चाहते हैं तो शनिवार को भी बैठक होनी जरूरी है। आशा है कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन द्वारा रखा गया है वह काफी सुंदर है उसको हमें स्वीकार करने में कठिनाई न होगी लेकिन इसके अंतिम हिस्से में यह लिखा हुआ है कि सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल के स्थान में ४ बजे सायंकाल से ८ बजे सायंकाल तक होगी इसके बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा।

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने बताया बजट को पढ़ने के लिये काफी समय मिलना ही चाहिये और पहिले भी नियमों के अनुसार माननीय सदस्यों को बजट के पढ़ने के लिये दो दिन मिला करते थे। मेरा खयाल है कि बजट के लिटरेचर की जो मोटी मोटी किताबें हमें दी जायँगी उनको ये पाँच घंटे मिलने के बाद भी हम लोग पूरी मेहनत करने पर भी पूरी तरह से पढ़कर कोई सुन्दर आलोचना कर सकेंगे या नहीं इसमें मुझे शक है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के लिये यह बड़ी कठिनाई की बात है। वैसे यहां पर काफी योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि वे इतने थोड़े समय में उतनी अच्छी आलोचना नहीं कर पायेंगे जिसकी उनसे आशा की जाती है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय नेता सदन से यह निवेदन करूंगा कि वे इसके लिये कुछ और मौका दें। माननीय सदस्यों ने यह भी देखा होगा कि लेजिस्लेटिव कौंसिल के नियमों में अब भी पूरे दो दिन रखे गये हैं। इस लिये यह भी बात ठीक नहीं मालूम होती कि विधान सभा बहस को पहले ही शुरू कर दे और विधान परिषद् बाद को शुरू करे। यह मेरा और मेरी पार्टी का ही निवेदन नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष के लोग भी हृदय में इसी भावना को रखते होंगे।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—बहस सिर्फ दो दिन हो और कल के दिन बिलकुल न हो और कल का पूरा दिन ही इसको देखने के लिये काम में लाया जाय तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमें तो यह समय के भीतर ही पूरा करना है। इस लिये अगर इस सदन की यह राय हो कि आम बहस कल बिलकुल न हो और सिर्फ दो दिन परसों और अतरसों हो तो इसके लिए भी प्रबंध हो सकता है। मैं तो यह चाहता था कि सदन को बहस करने का अधिक से अधिक मौका मिले दूसरे यह कि यथासंभव जितना ज्यादा समय बजट देखने को मिले दे दिया जाय। जहां तक बजट की मोटी-मोटी वाल्यूम्स (पुस्तकों) का ताल्लुक है हमारे यहां के सदस्य काफी योग्यता रखते हैं उनको थोड़ा ही समय बहुत काफी होगा और मैं आशा करता हूं कि वे इस समय में उसे अच्छी तरह से देखकर बहस में हिस्सा ले सकेंगे।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मैंने तिवारी जी को सुना और मुख्य मंत्री जी को भी सुना। मुझे दोनों में कोई असुविधा की बात नजर नहीं आती। यदि तिवारी जी और उनके साथी कल बोलने के लिये तैयार न होंगे तो मैं और मेरे कुछ साथी कल बोल लेंगे तथा तिवारी जी और उनके साथी परसों बोल लेंगे। मैं समझता हूं कि जैसा मुख्य विषय बजट का है जिसमें हमें अगले वर्ष के लिये अपनी नीति निर्धारित करनी है उस पर कल ही से बहस प्रारम्भ होनी चाहिये। अगर बजट के ऊपर बोलने का पूरा समय न मिले तो यह अनुचित होगा। इस लिये मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो मूल प्रस्ताव है वही रहना चाहिये, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहस के लिये समय तीन दिन होना चाहिये जैसा कि हमारी तरफ से सजेस्ट (सुझाव) किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि कल ११ बजे के बजाय शाम के ४ बजे से असेम्बली की बैठक हो तो मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर आप कल का पूरा दिन हम लोगों को बजट अध्ययन करने के लिये दें तो आप बड़ी कृपा करेंगे। कल का दिन अध्ययन करने के लिये मिल जाय और उसके बाद तीन दिन बराबर बहस होनी चाहिये क्योंकि श्रीमन्, विरोधी दल वालों को और सदन के दूसरे मेम्बरों को इसी मौके पर सरकार की साल भर की पालिसी पर बहस करना होता है। इसलिये जब हाउस में मेम्बर बढ़कर ४३० हो गये हैं तो तीन दिन की बहस होने में भी बहुत कठिनाई मालूम होगी। इस लिये कल छुट्टी होकर बराबर तीन दिन सामान्य वाद-विवाद रहना चाहिये। यह हमारी पार्टी की राय है। अतः हमें आशा है कि माननीय नेता सदन इसे स्वीकार करेंगे।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—इस मसले पर बहुत ज्यादा बहस की जरूरत तो है नहीं। मैं समझता हूं कि हर पार्टी के सदस्य मेरे साथ हैं गोकि कोई खड़ा होकर कुछ बात कह देता है। लिहाजा मुझे आशा है कि सदन सर्व सम्मति से इसे स्वीकार करेगा। ऐसी बातों पर हमारे बीच में मतभेद नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष—मैं इस संकल्प को राय लेने के लिये दो हिस्सों में बांटूंगा क्योंकि नियम २२१ के अनुसार नियम को स्थगित करना पहले आवश्यक है। तब दूसरे भाग पर नियम

[अध्यक्ष]

स्थगित होने के पश्चात् आगे क्या कार्यक्रम होगा इस संबंध में मैं इस सदन को राय मालूम करूंगा। मैं पहले मुझे यह मालूम होना चाहिये कि आया यह सदन इस नियम को स्थगित करने के लिये तैयार है या नहीं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया (प्रोसीजर आफ़ दि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायं काल तक ही होती है और उक्त नियम के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को बैठक नहीं हुआ करती तथापि वार्षिक आय-व्ययक एवं विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) ३१ जुलाई, १९५२ से पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त नियम स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—अब दूसरे संकल्प के संबंध में—

प्रश्न यह है कि यह संकल्प किया जाता है कि नियम ११ को स्थगित कर दिया गया है इसलिये सदन की बैठक अपने नियमित समय पर १२, १९ और २६ जुलाई, १९५२, को भी हो और यह भी संकल्प किया जाता है कि ८ जुलाई, १९५२, को सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक के स्थान पर ४ बजे सायंकाल से ८ बजे सायंकाल तक हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जुलाई के दूसरे और चौथे शुक्रवार को सरकारी कार्य करने के लिये संकल्प

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया (प्रोसीजर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार ११ तथा २५ जुलाई, १९५२ को उक्त मास के दूसरे और चौथे शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों में सरकारी कार्यों की अपेक्षा गैरसरकारी सदस्यों के कार्य की अग्रगामिता (प्रेसिडेंस) होगी किन्तु वार्षिक आय-व्ययक एवं विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) को ३१ जुलाई, १९५२ से पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक मांगों के विषय में मतदान (वोटिंग आफ डिमान्ड्स) के लिये ही निश्चित रहे।

वही बातें जो पहले प्रस्ताव के बारे में मैंने कही हैं, इस पर भी लागू होंगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव को लाने से पहले नियम १८ को स्थगित करने के लिये कोई प्रस्ताव उपस्थित किया गया है?

अध्यक्ष—जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है वह ठीक नहीं है, इसलिये कि नियम १८ में ही यह स्पष्ट दिया हुआ है कि अगर भवन चाहे तो प्रेसीडेंस (पूर्वता) सरकारी काम को या

किसी और काम को दे सकता है । भवन को यह अधिकार है । जब नियम के अन्तर्गत यह बात मौजूद है तो ऐसी अवस्था में नियम को स्थगित करने के प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अगर नियम को स्थगित करने की आवश्यकता होती तो जैसा कि पहले प्रस्ताव में कहा गया था इसमें भी कहा जाता । लेकिन इस नियम में ही यह अधिकार सदन को है कि प्रायरिटी (प्राथमिकता) एक या दूसरे काम को दे ।

मैं तो सिर्फ इतना और कहना चाहता था कि बजट की जो डिमांड्स (मांगें) आगे आयेंगी उनके लिये जिसके विचार में जो भी बातें हों और वह सदन के समक्ष रखना चाहता हो तो उनको अवसर मिल सके इसलिये बजट के ज़माने में वैसे भी नान आफिशियल (असरकारी) कार्यवाही स्थगित रहती है परन्तु यहां पर इसको प्रस्ताव के रूप में रख दिया गया है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह इस बात को स्वीकार करे ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय स्पीकर महोदय, मुख्य मंत्री जी ने इस समय जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसके संबंध में हमें आपत्ति है । आपत्ति जो है उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब हम लोग १९ मई से ३१ मई तक बैठे थे तो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में विचारार्थ रखने का निवेदन किया था और उस समय माननीय गुप्त जी ने आवश्वासन दिया था कि जुलाई के महीने में जब हम मीट करेंगे तो यह प्रस्ताव विचारार्थ उपस्थित किये जा सकते हैं। गुप्त जी का लिखित पत्र भी हमारे पास मौजूद है । अब भी हम महसूस करते हैं कि हमारे जो प्रस्ताव नान-आफिशियल-डे (असरकारी दिवस) के लिये हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। जैसे जमींदारी उन्मूलन के बाद जो परिस्थिति सारे सूबे में पैदा होगी और जिसके लिये अभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव पहले रखा गया था और जिसके ऊपर माननीय स्पीकर महोदय ने भी कहा है तथा पूर्वी जिलों की खाद्य परिस्थिति अब भी उतनी ही जटिल है यद्यपि बीच में जो डिकंट्रोल (विनियन्त्रण) की बात हुई है उससे हो सकता है कि कहीं पर कुछ थोड़ी सी समाधान की बात आवे मगर आम तौर पर वह समस्या अपनी जगह पर आज भी विद्यमान है । ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में प्रस्तावों को सदन के सामने लाये जाने के लिये नोटिस दी जा चुकी है। वे प्रस्ताव इन्हीं दिनों में आएंगे और इसके पहले आदरणीय मंत्री जी ने हमको आवश्वासन भी दिया था और लिखित आश्वासन भी दिया था कि हम जुलाई के महीने में आप के प्रस्तावों को ले लेंगे। मगर सरकार उन प्रस्तावों को लेना नहीं चाहती।

मुझे एक बड़ी आपत्ति और है। मेरी रूल फ्रेमिंग कमेटी (नियम निर्मात्री समिति) के सदस्यों से भी बातचीत हुई । उन लोगों ने स्पष्टरूप से बताया कि रूल बनाते समय इस पर हमेशा ध्यान दिया गया था कि इन नियमों को फिर कभी जल्दी जल्दी बदलने की कोशिश न की जाय । तो अगर रूल बनाये जाते हैं फिर शीघ्र ही उनको परिवर्तित करने के लिये, उनकी किसी धारा को स्थगित करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी संकल्प लाते हैं, तो यह उचित नहीं है । क्या आज के तीन दिन पहले बजट अधिवेशन शुरू नहीं करवाया जा सकता था ?

[श्री राजनारायण]

यदि ऐसा होता तो ११ तथा २५ जुलाई को हमारे नान-आफिशल प्रस्तावों पर बहस हो जाती। उसके आगे हमारा कार्यक्रम बन सकता था। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नान-आफिशल डेज के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है उस को वह वापस लेने की कृपा करें। मैं सुबह से ही सोच रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई ऐसा प्रस्ताव न आये जिससे मेरे उसके विरोध में खड़े होने की परिस्थिति पैदा हो। लेकिन यह प्रस्ताव आ ही गया और हमें विरोध करने के लिये उपस्थित होना पड़ा। इस लिये मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

माननीय स्पीकर महोदय, अब मैं उस धारा को भी पढ़ देना चाहता हूं जिसका जिक्र नारायण दत्त जी ने पहले किया था ---

"मांगों पर मतदान---(१) अनुदान के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो बीस से अधिक नहीं होंगे) प्रत्येक वर्ष १० मई से पूर्व मत लिये जायेंगे, जिनका इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सभा के नेता से परामर्श कर के बंटन करें।"

दूसरा है---

"(२) अनुदान के लिये मांगें ऐसे क्रम से उपस्थित की जायंगी तथा वाद-विवाद उप-नियम (१) के अन्तर्गत बंटित काल के भीतर उतने समय तक जारी रहेगा जैसा कि सदन का नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें।"

यह जो संकल्प मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है इस संकल्प का यही मकसद होता है कि बजट में जितनी डिमांड्स हैं उनके लिये किस प्रकार समय का विभाजन किया जाय जिससे ठीक समय पर सारा काम पूरा हो जाय। उसमें मैं आशा करता था कि इतना समय माननीय मुख्य मंत्री जी को अवश्य मिलेगा जिसमें हम लोगों से भी परामर्श करने की कृपा करेंगे कि काम का विभाजन किस प्रकार किया जाय जिससे उसमें कोई दिक्कत न पड़े। फिर यह बात मुख्य मंत्री जी ने की नहीं। इसकी आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं हुई। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें। इस प्रकार बहुमत दल के सदस्यों को भी, यदि वे कोई प्रस्ताव उपस्थित करना चाहें, नान-आफिशल डेज में प्रस्तावों को उपस्थित करने का अवसर प्रदान करें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं इसे अनिवार्य समझता हूं कि इन दो शुक्रवारों को यह बजट लिया जाय। इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है क्योंकि जिन गैर-सरकारी प्रस्तावों के संबंध में राजनारायण जी ने कहा है मुझे पूरी आशा है कि उनका जिक्र काफी तौर पर जो कि यहां बजट पर वादविवाद होगा और इसके अतिरिक्त जो कि पीछे डिमांडस आएंगी उनमें किया जायगा। अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो मैं आशा करता हूं कि दो दिन जरूर इस काम के लिये पीछे निकाले जायंगे। मगर डिमांड्स और जनरल डिस्कशन (सामान्य विवाद) की जो बहस होगी उसमें यह पेश होगा तो वह भी समझेंगे कि इस समय इसके बहस मुबाहसे की आवश्यकता नहीं है। कोई विषय ऐसे हो जो छूट जाय और उसके लिये किसी गैर-सरकारी प्रस्ताव को यहां पर लाने की आवश्यकता समझी जाय तो यह देखा जा सकता है कि चाहे शुक्रवार न हो, किसी और दिन नान-आफिशियल बिजनेस (असरकारी कार्य) के लिये निकाला जा सकता है या नहीं। जो राजनारायण जी ने कहा कि वह आज सबेरे तक तो यह समझते थे कि उनको किसी तरह का विरोध नहीं करना पड़ेगा, उससे यह मालूम होता है कि उनका इस प्रस्ताव का विरोध

करने का इरादा नहीं था, चूंकि यहां पर जो कार्यक्रम भेजा गया वह सब सदस्यों को भेजा गया । उसमें दिया गया था कि इन तारीखों को यानी ११ और २५ को अनुदानों की मांग का उपस्थित किया जाना तथा उन पर मतदान । यह पत्र यहां से हमारे विधान सभा के दफ्तर से २१ जून को निकला था और राजनारायण जी तो पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अवश्य ही यह देखा होगा कि ११ और २५ को यहां पर बहस होने वाली है और यहां आने पर सुबह तक उन्होंने यही समझा कि यह उचित हुआ है और इसका विरोध नहीं होना चाहिये । उसके बाद कुछ लोगों ने उनके हृदय में शंकाएं उपस्थित कर दीं जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं मालूम पड़ता है । इसलिये जो सवेरे से पहले उनका निश्चय था, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह उसी पर कायम रहें और आज अगर किसी ने उनको और कुछ परामर्श दिया हो तो अपने मत को न बदलें। मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया (प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार ११ तथा २५ जुलाई, १९५२ को उक्त मास के दूसरे और चौथे शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों में सरकारी कार्यों की अपेक्षा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की अग्रगामिता (प्रेसिडेंस) होगी, किन्तु वार्षिक आय-व्ययक एवं विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को ३१ जुलाई, १९५२ से पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक मांगों के विषय में मतदान (वोटिंग आफ़ डिमांड्स) के लिये ही निश्चित रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ का आय-व्ययक

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (मैं विधान का प्रश्न उठाता हूं)।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हाउस के सामने जो बजट पेश हो रहा है उसमें कुछ बजट के प्रोपोजल्स (प्रस्ताव) जो हाउस के सामने पेश हैं वह हमारे यहां के अखबारों में इसी भवन के माननीय सदस्यों के जरिये शाया हुये हैं।

अध्यक्ष—क्या यह प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन (मैं एक सूचना देना चाहता हूं)।

अध्यक्ष—आन ए प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

वित्त मंत्री (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—श्रीमान्, मैं सन् १९५२-५३ का बजट पेश करता हूं।

भारत के संविधान (Constitution of India) के अधीन बालिग मताधिकार (adult franchise) पर चुना हुआ इस राज्य का यह पहला विधान-

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

मंडल (Legislature) है। उनके पहले बजट को इस सभा (House) के सामने जिस बहुत बड़ी तादाद में जनता के लोग चुने गये हैं, पेश करने का जो आदर आपने मुझे दिया है, उसके लिये मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूं।

३—मामूली तौर पर किसी साल का बजट उसके पिछले साल के बीतने से एक या दो महीने पहले ही विधान-मंडल (Legislature) के सामने पेश किया जाता है। इस मौके पर इसमें तब्दीली करने की जरूरत इसलिये महसूस हुई कि अभी हाल में जो आम चुनाव हुये थे उनसे चालू बजट वर्ष के शुरू में ही एक नया विधान मंडल (Legislature) बन गया था। पिछली सरकार का यह विचार ठीक ही था कि बजट में उस साल के लिये जिसके लिये वह बनाया जाता है, किसी सरकार की बनाई हुई पालिसी और प्रोग्राम ही होता है और वह आमदनी और खर्च के तखमीनों में जाहिर किया जाता है और यह कि चालू साल के लिये बजट तैयार करने का काम नई सरकार के लिये छोड़ देना उचित ही होगा। इसलिये पिछले मार्च में उन्होंने पुराने विधान-मंडल (Legislature) से केवल लेखानुदान (Vote on Account) ही हासिल किया जिसका कि वे इस साल के पहले चार महीनों का, जब तक वह पूरा बजट जिसे मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं पास न हो जाय, ऐसा खर्चा चला सकें जिसके लिये वे वादे कर चुके हैं। संविधान (Constitution) के अनुच्छेद (Article) २०६ में यह कहा गया है कि विधान-मंडल (Legislature) से लेखानुदान (Vote on Account) पास करने के लिये कहने से पहले वह बजट जिसके बारे में लेखानुदान मांगा जा रहा है, पेश किया जाना चाहिये। इसलिये पिछली सरकार ने पुराने विधान-मंडल (Legislature) के सामने अस्थायी या आरजी बजट पेश किया था। उसमें उन्होंने अपनी आमदनी का तखमीना मौजूदा साधनों से और खर्चे का तखमीना मौजूदा सर्विसों की जरूरतों से लगाया था। उन्होंने खर्च करने और टैक्स लगाने के बारे में नई नीतियां (policies) बनाने और चालू वित्तीय वर्ष का असली बजट पेश करने का काम मौजूदा सरकार के लिये छोड़ दिया था।

४—मौजूदा सरकार को बने कुछ ही हफ्ते हुये थे और यह स्वाभाविक ही है कि हम आय और व्यय के बारे में अपने सब प्रस्ताव पक्के नहीं बना सके। किन्तु हमारे उद्देश्य और प्रयोजन तो स्पष्ट हैं ही और वे सदस्यों को बजट में पूरी तरह से मालूम हो जायेंगे। बहुत संक्षेप में हमारी नीति या पालिसी यह है कि हम इस राज्य में ऐसी हालतें पैदा करने के लिये जो जनता के आर्थिक विकास (economic growth) और दिमागी तथा सांस्कृतिक उन्नति (intellectual and cultural advancement) के लिये अनुकूल हों, ऐसे सभी काम करेंगे जो हम कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पालिसी पर चलने में हमें सैकड़ों भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और हम यह भी जानते हैं कि सभी मोर्चों पर एक ही समय में बराबर आगे बढ़ने से हमारे प्रयत्न क्षीण हो सकते हैं, जो हमारी सफलता के लिये अच्छा नहीं है। इसलिये कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में किया जाय, इस समस्या का हल भी माननीय सदस्यों को हमारे बजट में दिये ये आंकड़ों से साफ-साफ मालूम हो जायगा।

५—जाहिर है कि हमारा भारत जैसा देश जिसमें अभी तक उद्योग-धंधे पनप नहीं पाये हैं, अपने गल्ले की सप्लाई के लिये विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता, यदि वह किसी भी प्रकार की तरक्की करना चाहता है और वास्तव में यदि वह आर्थिक संकट को भी टालना चाहता है। उद्योग-धंधे चलाने के लिये समय और वैशेशिक साधनों (technical resources) की जरूरत है। इसलिये हमने अपने कार्यक्रम (programme of action) में सबसे पहला स्थान छोटी और बड़ी सिंचाई की योजनाओं और खेती-बाड़ी और मवेशियों (पशुधन) की तरक्की की योजनाओं को दिया है। ये योजनायें देश को भोजन की चीजों के बारे में जल्द से जल्द आत्मनिर्भर (self-sufficient) बनाने में मदद देने के लिये हैं। अपने लिये काफी अनाज पैदा करने के संबंध में हमारी अधिकतर दिक्कतें इस बात से होती हैं कि इस राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से में किसानों को अपनी फसलें उगाने के लिये मानसून के ऊपर निर्भर रहना

पड़ता है और अगर किसी साल पानी नहीं बरसता है तो अन्न की कमी हो जाती है और बाहर से मंहगे अनाज मंगाने पड़ते हैं। यह ठीक है कि हमारे किसान खेती-बाड़ी करने में जिन तरीकों को अपनाते हैं वे कुछ हद तक पुराने हैं। हम समस्या के इस पहलू को भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। किन्तु फिर भी अपने इन मौजूदा तरीकों से भी हमारे किसान इस देश को कम-बढ़ आत्म-निर्भर (self-sufficient) बना सकते हैं यदि खेती की सब जमीनों को सिंचाई के लिये सुविधायें मिल जायं और अगर वे मानसून की मौज पर इतना अधिक भरोसा न करें। इसलिये सिंचाई के नये निर्माण-कार्यों का बनाया जाना आजकल की आर्थिक स्थिति (economy) के विचार से भी बहुत जरूरी है और वह ऐसी प्रभावकारी या पुरअसर कार्रवाई भी है जिसे हम अपनी भावी सम्पन्नता की नींव डालने के लिये कर सकते हैं। इसलिये यह मद हमारे विकास कार्यक्रम (development programme) में बहुत ऊंचे स्थान पर रखी गयी है। इसके लिये हमें अपनी आय का बहुत सा रुपया (outlay of revenue) लगाना पड़ेगा और बहुत सी पूंजी व्यय (capital expenditure) करनी होगी। मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि यह खर्च जरूर किया जाना चाहिये और वह भी कुशलता (efficiency) का निर्वाह करते हुये अधिक से अधिक जल्दी। इस काम में जनता को बिना संदेह इसी समय बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा और मैं यह भी समझता हूं कि इस बात से सभी सहमत होंगे कि अगर उस त्याग से हम इस योग्य हो जायं कि हमें विदेशों से मंहगे अनाज मंगाने की जरूरत न पड़े और हम उस भारी अनुत्पादक (unproductive) खर्च से बच जायं जिसे हमें शहरी जनता को अनाज सप्लाई करने तथा राशनिंग की व्यवस्था चलाने में करना पड़ता है और हम बाढ़ों पर काबू पा जायें और अकाल की सम्भावनायें (chances) कम हो जायं और कमी वाले जिलों की तकलीफ दूर करने के लिये किये गये प्रशासकीय प्रबंधों पर बड़ी-बड़ी रकमें खर्च करने की जरूरत न पड़े, तो ऐसे नतीजों को हासिल करने के लिये हमें इस समय जो भी तकलीफ उठानी पड़े, वह उठाने के काबिल होगी। इसलिये माननीय सदस्य यह देखेंगे कि बजट में सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों के रख-रखाव, उनके बढ़ाने और नये निर्माण करने के लिये एक ऐसी रकम रक्खी गयी है, जो पहिले कभी नहीं रक्खी गयी थी। इस समय भी हमारे यहां बांधों (dams), जलाशयों (reservoirs), नहरों, ट्यूब वेलों, पक्के कुओं वगैरह के बनाने की कुछ योजनायें चालू हैं। इन सभी के लिये हमने बजट में जहां तक हो सकता था ज्यादा से ज्यादा रुपया रक्खा है। इसके अलावा हमने इस साल पहाड़ी जिलों में छोटे-मोटी सिंचाई और और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक (hydro-electric) योजनायें चालू करने के लिये ६।। लाख रुपये की एक रकम, जायस के रकबे में सारदा नहर के बढ़ाने के लिये १० लाख रुपये की एक रकम इस साल के दौरान में खास कर कमी वाले जिलों के लिये छोटी सिंचाई की योजनायें चालू करने के लिये २० लाख रुपये की एक रकम, रिहांड डैम (बांध) पर फिर से निर्माण-कार्य शुरू करने के लिये १० लाख रुपये की एक रक़म, चन्द्र प्रभा, अहरौरा, माटा टिला और अर्जुनपुर डैमों (बांधों) के निर्माण-कार्य को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिये जिसके पूरे होने पर ४ लाख एकड़ की ऐसी जमीन सींची जा सकेगी जहां इस समय सिंचाई नहीं होती है, ६० लाख रुपये की एक रकम और पूर्वी जिलों में १०० ट्यूब वेलों की एक नई योजना के लिये आधे करोड़ रुपये की एक और रकम की व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्य देखेंगे कि निर्माण कार्यों के लिये इन रकमों की व्यवस्था करने के अलावा बजट में आगे दी हुई बातों के लिये भी व्यवस्था की गयी है। काश्तकारों को खेती बाड़ी (फार्मिंग) के अधिक अच्छे और आधुनिक उपायों की जानकारी कराने के लिये, खेतों की चकबन्दी और सहकारी फार्मों के खोलने के काम को बढ़ावा देकर फार्मिंग की और अधिक आर्थिक इकाइयां बढ़ाने के लिये ऊसर और बंजर जमीन के बड़े-बड़े रकबों का उद्धार कर के उनमें खेती करने के लिये, उन्नत किस्म के बीज, खाद, उर्वरक (fertilizers) औजार, वर्कशाप की सुविधायें वगैरह देकर, खेती के लिए और अधिक अच्छी व्यवस्था करने के लिये, गन्ने का विकास करने के लिये, मशीनों से खेती बाड़ी (फार्मिंग) करने के काम को बढ़ावा देने के लिये और आधुनिक विज्ञान (modern science) के सभी जाने हुये ऐसे तरीकों को, जिन्हें इस देश

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

में हम काम में ला सकते हैं, प्रयोग में लाकर इस राज्य के मवेशियों का सुधार करने के लिये। कृषि, पशु-पालन और सिचाई विभागों के राजस्व और पूंजी के बजटों में, जिसमें इजाफा बताई गयी सभी मदों के लिये खर्च की व्यवस्था की गयी है, चालू वित्तीय वर्ष के लिये जिस रकम की व्यवस्था की गयी है, उसका कुल जोड़ १४.४ करोड़ रुपये तक होता है।

६—"अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं की मांगें पूरी कर देने के बाद हमारी सबसे जरूरी मदों की सूची में वे योजनायें आती हैं जिन्हें हमने बिजली-घरों और ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण के लिये बनाया है। यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि उद्योग-धंधे की तरक्की करने, धनोत्पत्ति को बढ़ाना उस समय तक नामुमकिन है जब तक कि बहुत बड़े पैमाने पर सस्ती चालक शक्ति (cheap motive power) सप्लाई नहीं की जा सकती और इस समय अनाज के अलावा हमें सबसे अधिक जरूरत उद्योग धंधे बढ़ा कर अपने श्रम के द्वारा उत्पादन बढ़ाना है। मौजूदा हालत में खेती के लिये भी यह जरूरी है कि उसे बहुत बड़ी मिकदार में बिजली आसानी से मिल सके। इसलिये हमने, दूसरी बातों के बावजूद भी, यह तय किया है कि बिजली की शक्ति के विकास के लिये राज्य की पंच वर्षीय योजना को तेजी के साथ चलाने के लिये जितने भी धन की जरूरत हो, उसकी व्यवस्था चालू साल के बजट में कर दी जाय। इसलिये ऐसा न करने में जो बातें हमें रोकती हैं उनका संबंध रुपये पैसे से नहीं है बल्कि जरूरी सामान और मशीनें पाने की दिक्कत और कुछ हद तक ट्रेनिंग पाये हुये टेक्निकल अमले के न मिल सकने की कठिनाई है। असमर्थताओं (limitations) के होते हुये भी, विभिन्न बिजली की योजनाओं पर, जिनमें मौजूदा बिजली घरों के रख रखाव और उनके बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है, नये बिजली घरों के कायम किये जाने पर और बिजली की ट्रान्समिशन लाइनों वगैरह के निर्माण पर होने वाला राजस्व तथा पूंजी खर्च चालू साल के दौरान में ५.४ करोड़ रुपया हो जायगा। इस रकम में से, करीब करीब ८० लाख रुपये कानपुर की इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिजली घरों की उत्पादन तथा ट्रान्समिशन शक्ति के बढ़ाने के काम में लाये जायेंगे और २० लाख रुपये राज्य के पूर्वी भागों मे कुछ नये बिजली घरों के बनाने का काम शुरू करने में लगाये जायेंगे।

७—इस जगह मुझे सिर्फ मुख्तसिर तौर पर बाकी विकास की योजनाओं पर कुछ कहने की जरूरत है। खास उद्योग धंधों के सिलसिले में, यह बात ध्यान देने योग्य है कि हम घरेलू उद्योग धंधों की उन्नति करने की योजनाओं पर होने वाले खर्च को करीब करीब ७ लाख रुपये प्रतिवर्ष की एक दूसरी रकम से बढ़ा रहे हैं, और मिर्जापुर की सरकारी सीमेंट फैक्टरी पर, जिसका निर्माण कार्य अभी जारी है, सवा करोड़ रुपये की रकम खर्च करेंगे। सड़कों और भवनों के विभाग के बजट में ७१० लाख रुपये के खर्च की आशा की जाती है। इसमें से लगभग ३१९ लाख रुपये नये निर्माणों (जिसमें चीनी मिलों के क्षेत्रों में पक्की सीमेंट की कई मील लम्बी सड़कें, कंकरीट के रास्ते आदि शामिल हैं) और मौजूदा निर्माण कार्यों के सुधार के लिये रखे गये हैं। खासतौर से विकास योजनाओं पर खर्च बढ़ जाने के कारण शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागों के अनुदानों में ७३ लाख रुपये और ३१ लाख रुपये बढ़े हैं। सारे बजट में टेक्निकल शिक्षा के लिये, खासकर इंजीनियरिंग के विषयों में ऊंची तालीम के लिये अधिक अच्छी सुविधायें देने के निमित्त विशेष व्यवस्था की गयी है। विकास का दूसरा काम जिस पर हमने विशेष ध्यान दिया है, सहकारी उद्योगों की उन्नति है। यह बात सभी मानते हैं कि जनतंत्र के ढंग पर (Democratic way) जीवन को चलाते हुये, हमारी आर्थिक उन्नति (economic progress) ज्यादातर इस बात के अधीन रहेगी कि इस देश की जनता और सरकार सहकारिता के सिद्धांत को किस हद तक समझती है और किस हद तक उस पर अमल करती है। इसलिये सहकारी संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना इस सरकार की नीति का पालनी का एक खास पहलू है। इस बजट में स्वावलम्बन की योजनाओं (Self-help schemes) को और सहकारी खेती को बढ़ावा देने और सहकारी समितियों को ट्यूब-वेल, छोटे बिजली घर आदि बनाने के लिये कर्जा और इमदाद (Subsidies)

देने की खास व्यवस्था की गई है। बजट की दूसरी खास व्यवस्थाओं का संबंध, जिनका मैं यहां पर जिक्र करूंगा, दुख में पड़े लोगों को, खासकर अनाज की कमी वाले क्षेत्रों के लोगों को मदद देने, औद्योगिक फायदे के पेड़ों को लगाने और उनकी रक्षा करने, गांव पंचायतों को माली मदद देने, जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम को लागू करने, मलेरिया को काबू में लाने और उसे जड़ से उखाड़ने के लिये जोरदार कार्रवाइयां करने, मजदूरों के लिये मकान की योजनायें, मध्य वित्त (middle class) के लोगों के लिये मकान बनाने की योजनाओं और जेल के कैदियों को खुला छोड़कर उनसे काम लेने की एक नई सुधार योजना से है।

८—इन बातों का जिक्र मैंने इसलिये नहीं किया है कि मैं आपको उन सब व्यवस्थाओं का पूरा-पूरा ब्योरा दूं, जो हमने इस बजट में की हैं। इसके समझाने की कोशिश तो मैं इसी भाषण में आगे करूंगा, बल्कि इसलिये कि इस सदन को साफ-साफ मालूम हो जाय कि सरकार के सामने चाहे कितनी ही दिक्कतें क्यों न आयें, उसने अब यह पक्का इरादा कर लिया है कि वह इस राज्य में विकास की कार्रवाइयों को तेजी से आगे बढ़ायेगी जिससे कि जन-साधारण को रहन-सहन के अच्छे ढंग के रूप में राज्य की पंचवर्षीय योजना (five year plan) के लाभ अभी से मिलने लगें। इसका यही मतलब है कि चालू वर्ष में और अगले दो या तीन सालों में सरकार को इस बारे में बहुत ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। वास्तव में बजट से यह मालूम होता है कि चालू वर्ष में ४,२४ लाख की आय में कमी (Revenue deficit) होने की संभावना है। इसके अलावा पूंजी से किये जाने वाले बड़े बड़े कार्यक्रमों (Capital programme) को पूरा करने के लिये काफी बड़े धन की जरूरत पड़ेगी। इस बात से कि पिछले मार्च में विधान मंडल में जो अस्थायी बजट पेश किया गया था और जो खर्च के मौजूदा स्तर के हिसाब से बनाया गया था, उसमें ४७ लाख रु० की आय में कमी (revenue deficit) थी जिससे यह जाहिर होता है कि इस राज्य के मौजूदा साधन सरकारी विकास योजनाओं के नियत ढंग से पूरा करने में बिलकुल ही अपर्याप्त हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम अधिक से अधिक सहायता भारत सरकार से या और किसी, जरिये से जहां से हमें मदद मिल सकती हो, लेने की कोशिश करेंगे। यदि जरूरत होगी तो हम अपने सुरक्षित निधि (reserve) से भी उतना रुपया लेने की कोशिश करेंगे जितना कि हमें मिल सके। लेकिन यह बिलकुल साफ है कि इन तरीकों से हमें जो भी रुपया मिल सकेगा वह हमारी तेजी से चलने वाली विकास योजनाओं के बहुत भारी खर्च को पूरा करने के लिये बिल्कुल ही अपर्याप्त होगा। इसलिये सरकार के लिये यह जरूरी होगा कि वह चालू साल में और अधिक कर (tax) लगाकर अपनी आय को बढ़ाये। यदि हम अतिरिक्त कर (Additional taxation) न लगाना चाहें तो हमारे पास यही उपाय रह जाता है कि या तो हम विकास के कार्यक्रम (programme) को रोक दें या उसे धीरे-धीरे चलायें। आज कल की देश की अन्दरूनी और अन्तर्राष्ट्रीय (International) हालत को देखते हुये, चाहे वित्त की कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हों, सरकार ने जन-साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये जो भी योजनायें बनाई हैं, उनको पूरा करने में देरी करना न तो समझदारी और न होशियारी का ही काम होगा। यह उन अवसरों में से एक अवसर है जो प्रत्येक राष्ट्र (Nation) के इतिहास में बराबर आते हैं और जब सारी जनता अपने देश की रक्षा और कल्याण के लिये मिल कर संघर्ष करती है। इन सब बातों पर विचार करते हुये मुझे विश्वास है कि इस राज्य की जनता उन अतिरिक्त करों को, जिनके लिये आम जनता के हित की दृष्टि से उससे देने को कहा जायगा, बड़ी खुशी से देने के लिये तैयार हो जायगी।

९—यहां पर मैं इतना कह देना चाहता हूं कि इस सरकार के उद्देश्यों और प्रयोजनों में जिन्हें मैंने अभी ऊपर समझाया है और पिछली सरकार द्वारा अपनाये गये उद्देश्यों और प्रयोजनों में कोई खास फर्क नहीं है। वास्तव में यह ताज्जुब की बात होती अगर उनमें

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

कोई फर्क होता क्योंकि पिछली सरकार भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनायी थी और उनके नेता भी वही मुख्य मंत्री थे जो आज कल इस सरकार के हैं। ऐसी हालत में इस सदन (House) के नये सदस्य यह पूछ सकते हैं कि पिछला मंत्रिमंडल अपने कार्यकाल में किन-किन कामों को पूरा करने में सफल रहा और उस काल में विकास योजनायें और अधिक तेजी से क्यों नहीं चलाई जा सकीं। कुछ तो नये सदस्यों के फायदे के लिये और कुछ इस खातिर भी कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का पूरा-पूरा विवरण इस सदन के सामने रख दिया जाय, मैं कुछ शब्दों में उन खास परिस्थितियों की याद इस सदन को दिलाऊंगा जिनमें सरकार को अपने पिछले कार्यकाल में काम करना पड़ा।

१०—सदन को यह याद ही होगा कि १९४६ ई० में शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने से पहले इस राज्य में अंग्रेज अफसरों की एडवाइजरी रिजीम (Advisory Regime) थी। इन अफसरों की समझ में साम्राज्य के कानून और व्यवसाय को बनाये रखना ही सरकार का मुख्य काम था और उनकी दृष्टि में सरकार की दूसरी कार्रवाइयों का अपेक्षाकृत कम महत्व था। जब लड़ाई के दौरान में मुद्रास्फीति (inflation) हो गई थी और राजस्व की बचतों की (revenue surpluses) की धनराशि काफी जमा हो गयी थी तो भी उन्होंने कोई खास विकास कार्य शुरु नहीं किया। पहली कांग्रेस सरकार १९३७ ई० और १९३९ ई० के बीच में जिन कुछ एक योजनाओं को शुरू कर सकती थी, उनकी भी उपेक्षा की गयी और उनको पीछे फेंक दिया गया। मुद्रास्फीति जिसे अस्थायी रूप से युद्ध काल की जरूरतों को पूरा करने के लिये अपनाया गया था, गम्भीर स्थिति पर पहुंच गयी थी और सब तरह से काबू से बाहर होती हुई नजर आने लगी थी। युद्ध के प्रयत्नों में बहुत अधिक पूंजी धन व्यय और नष्ट किया गया, किन्तु उसके स्थान पर नई पूंजी की व्यवस्था के लिये कोई पुरअसर या प्रभावकारी कार्रवाइयां नहीं की गयीं। इसलिये पूंजी का निर्माण लगभग रुक सा गया। उद्योगों से मिलने वाली चीजों में कमी होती गयी। वास्तव में देश के रहन-सहन के पहले ही से बहुत गिरे हुये स्तर के और भी ज्यादा गिर जाने की अवस्था आ गयी और उसकी रोकथाम के लिये तात्कालिक उपाय आवश्यक हो गया। किन्तु इन कुप्रवृत्तियों को कम करने या रोकने के लिये कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं किया गया। इसलिये १९४६ ई० में शासन का भार अपने हाथ में ले लेने पर कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले विकास का एक ऐसा कार्यक्रम या प्रोग्राम बनाया जो जनता के उस आर्थिक संकट से जो जोर पकड़ रहा था, बचा सके।

११—सरसरी जांच से ही यह पता चल गया कि उस समय भी इतना अधिक काम करने के लिये बाकी था कि विकास के कम से कम कार्यक्रम (Programme) की भी लागत बहुत ज्यादा होती, जो इस राज्य की उस समय की वित्तीय सामर्थ्य के बाहर था। ठीक उसी समय केंद्रीय सरकार ने लगभग ४६ करोड़ रुपये की राजकीय सहायता (Subvention) जो कुछ वर्षों की अवधि में दी जाने वाली थी, विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिये देने का वादा किया। विकास के कार्यक्रम या प्रोग्राम की खास दिक्कत यह थी कि सरकार जरूरी रुपये का इन्तजाम नहीं कर पाई थी और वह भारत सरकार की कृपा से फौरन ही दूर हो गई। एक बड़ी तादाद में स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी इमारतों, सड़कों, बांधों और बिजलीघरों, सिंचाई के कार्यों इत्यादि का निर्माण-कार्य तुरन्त ही शुरू कर दिया गया। भूमि के उद्धार और नई बस्तियां बसाने की बड़ी-बड़ी योजनायें, खेती बाड़ी और मवेशियों की उन्नति की बड़ी-बड़ी योजनायें चालू कर दी गयीं। सामाजिक और कृषि सुधार संबंधी बुनियादी कानूनों को तैयार करने का काम शुरू किया गया। जनता की सामाजिक भलाई के लिये भी बहुत सी योजनायें बनाई गईं। इस प्रकार से उन हालतों में जो इस काम के लिये बहुत मुनासिब समझी गई थीं, इस राज्य का विकास प्रोग्राम १९४७ ई० में शुरू किया गया और अगर सूरतें मुकूल होतीं तो इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह जितनी योजनाएं अब तक चलाई गयी हैं उनसे बहुत अधिक और फायदेमन्द योजनाएं पिछले पांच वर्षों में पूरी की

जा सकती थीं। लेकिन इस प्रोग्राम को शुरू करने के एक साल के भीतर ही हमारे सामने ऐसी दिक्कतें आ गईं जो हमारे काबू के बाहर थीं। देश के विभाजन के कारण होने वाली घटनाओं और कुछ अन्य कारणों से केन्द्रीय सरकार को अपनी राज सहायता बन्द कर देनी पड़ी और उसमें राज्य सरकार को उन वादों का धन संबंधी बोझ उठाने के लिये अकेला छोड़ दिया गया, जो केन्द्रीय सरकार की सहायता के बूते पर राज्य सरकार ने किये थे। विभाजन के कारण देश के ऐसे क्षेत्र जो अनाजों के बड़े-बड़े बचत के क्षेत्र थे, विदेशी प्रदेश बन गये जिससे देश के अन्दर अनाज की बड़ी कमी हो गई और मुद्रास्फीति की शक्तियां बढ़ गईं। इससे भी राज्य के ऊपर और वित्तीय बोझ आ पड़ा जिसकी आशा नहीं की गयी थी। क़ीमतों के तेजी से बढ़ जाने के फलस्वरूप सब प्रकार की सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय भी बहुत काफी बढ़ गया। शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की राशनिंग संबंधी योजनाओं को चलाने में करोड़ों रुपयों का अनुत्पादक व्यय करना पड़ा। हृदय विदारक परिस्थितियों के कारण जिनमें विस्थापित व्यक्ति इस राज्य में आये थे, कुछ समय तक तीव्र साम्प्रदायिक तनातनी बनी रही; और पुलिस दल को मजबूत बनाने में तथा ऐसे विशेष प्रबन्ध करने में जिससे शांति भंग न होने पावे, अत्यधिक व्यय करना पड़ा। इनके कारण तथा अन्य कारणों से सरकार को अपने वित्तीय साधनों से ऐसी बड़ी मांगें पूरी करनी पड़ीं जिनकी आशा नहीं की गयी थी और जो आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक थीं। इसके साथ ही साथ सरकार ने वित्तीय प्राप्तियों के संबंध में जो आशा की थी वह पूरी नहीं हुई और यह बात पहिले ही से जान लेना संभव न था। साधारणरूप से सरकार यह समझती थी कि अपने पूंजी व्यय (Capital Expenditure) को पूरा करने के लिये उसे जितने धन की आवश्यकता होगी उसका अधिक भाग बाजार में ऋण लेकर पूरा कर दिया जायगा। यद्यपि देश में अत्यधिक मुद्रास्फीति थी, परन्तु वास्तव में आवश्यक सार्वजनिक ऋण (Public Loans) नहीं लिये जा सके, क्योंकि देश के लोगों में आमदनी का बटवारा कुछ जटिल ढंग से हुआ था और यदि ऋण जारी किये जाते तो उनके लिये सर्राफे में रुपया मिलना अत्यन्त कठिन होता। इसका फल यह हुआ कि जितनी धनराशि पाने की आशा की गई थी उसका कुछ समुचित भाग भी सरकार को सार्वजनिक ऋणों (Public Loans) के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर यह कह देना जरूरी है कि जिन विपरीत परिस्थितियों का वर्णन ऊपर आया है उनमें से किसी में सरकार कोई कार्यवाही करके परिवर्तन नहीं ला सकती थी; और इन परिस्थितियों ने मिल कर उन योजनाओं का भी वित्त-पोषित किया जाना बहुत कठिन कर दिया जो पहिले ही से हाथ में हैं। इस कठिनाई से छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता यह अवश्य हो सकता था कि और कर लगाये जायं। परन्तु उस समय जब कि क़ीमतें तेजी से बढ़ रही थीं यह बहुत जरूरी था कि कोई ऐसी बात न की जाय जिससे मुद्रास्फीति के और बढ़ जाने की संभावना हो। दूसरा रास्ता यह था कि विकास संबंधी ऐसे प्रोजेक्ट (Project) छोड़ दिये जायं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिये जाने के आश्वासन पर चलाये गये थे। परन्तु इससे न केवल अत्यधिक हानि ही होती बल्कि इसका अर्थ यह भी होता कि राज्य की आर्थिक उन्नति करीब-करीब पूरी तरह से रुक जाती और यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे हम निश्चय ही स्वीकार करने को तैयार न थे। मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि अन्त में हम एक ऐसा हल अपना सके हैं जिसमें यद्यपि बहुत प्रशासकीय नियंत्रण रखना पड़ा, जो बहुत ही कष्टदायक था, परन्तु जिसके फल-स्वरूप हम बिना और कर लगाये ही अपना विकास संबंधी व्यय जारी रखने में समर्थ हुये और कुछ योजनाओं पर ऐसा व्यय बढ़ा भी सकें। कुल विभागीय व्यय में सख्ती से कमी करके तथा कम जरूरी व्यय काट करके, जिससे कि बचत की धनराशियां विकास संबंधी योजनाओं को वित्त-पोषित करने में लगाई जा सकें, हम ऐसा कर सके हैं। इन साधनों को अपना कर हम अपने उद्देश्य प्राप्त करने में काफी आगे बढ़ सकें और जो उन्नति हुई है वह कुछ आंकड़ों से बहुत अच्छी तरह मालूम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, शिक्षा विभाग को दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि १९४५–४६ में २.६५ करोड़ रु० से बढ़ कर १९५१–५२ में ७.४१ करोड़ रुपया हो गई। कृषि और पशु-पालन विभागों को जिन्हें १९४५–४६ में १,१४ लाख रुपये मिले,

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

१९५१–५२ में लगभग ४,४९ लाख रुपया मिलने लगे। इसी प्रकार पूंजी की ओर उदाहरण के तौर पर सिंचाई संबंधी व्यय १९४५–४६ में ४९ लाख रुपये से बढ़ कर १९५१–५२ में लगभग ३३७ लाख रुपया हो गया; और हाइड्रोइलेकक्ट्रिक वर्क्स (जल-निर्माण-कार्यों) पर व्यय ५८ लाख रुपये से बढ़ कर २,८९ लाख रुपया होगया। १९४५–४६ में औद्योगिक विकास की योजनाओं पर कोई पूंजी नहीं लगाई गई। इस शीर्षक के अंतर्गत १९५१–५२ में व्यय का दोहराया गया तखमीना ६९ लाख रुपया था। राजस्व और पूंजी दोनों व्यय जो पिछले पांच वर्षों में नयी सड़कों और इमारतों के निर्माण पर किया गया, २० करोड़ रु० है; और राज्य के कुछ क्षेत्रों में सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने में ३। करोड़ रुपया लगाया गया है। साधारण परिस्थितियों में यह पूंजी व्यय सार्वजनिक ऋणों (Public Loans) से पूरा किया जाना चाहिये था; किन्तु उन कारणों से, जिन्हें मैं पहिले ही बता चुका हूं, ऐसी कुल धनराशि जो हमें खुले बाजार में ऋण लेकर प्राप्त हुई केवल ४। करोड़ रुपया थी। इसका फल यह हुआ कि राज्य को ऐसे ऋणों पर निर्भर रहना पड़ा जो उसे भारत सरकार से प्राप्त हो सके, और फिर भी जो कमी रह गई उसे राज्य ने अपनी ही सुरक्षित धनराशियों से पूरा किया। इस संबंध में कि हमारे पिछले कार्यकाल में विकास संबंधी कार्यक्रम और तेजी से क्यों नहीं चालू किया गया, कोई और स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।

१२—यहां मैं सदन (House) को यह बता देना जरूरी समझता हूं कि अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों के जमाने में कोई अतिरिक्त टैक्स लगाये बिना विकास व्यय (Development expenditure) को बढ़ाने में हमें जो सफलता मिली तो वह राज्य की वित्तीय सुदृढ़ता (Financial soundness) को बिगाड़े बिना ही हमने प्राप्त की। वास्तव में उन कठिनाइयों के जमाने में भी हर मुमकिन ढंग से इस बात की सावधानी बरती गई कि राज्य की वित्तीय स्थिति पूरे तौर से हमेशा सुरक्षित रहे। १९४६–४७, १९४७–४८ और १९४८–४९ में हर साल के अंत में राजस्व में काफी बचत हुई। सिर्फ एक वर्ष यानी १९४९–५० में केन्द्र से मिलने वाली राज-सहायता कम किये जाने के कारण ही यकायक राजस्व में कमी हुई जिसके फलस्वरूप राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue reserve fund) से रुपया निकालने की आवश्यकता हुई। लेकिन तुरन्त ही व्यय में सख्ती से कमी की गई और अन्य समाधान किये गये और वर्ष १९५०–५१ के अन्त में फिर राजस्व में बचत हुई। जहां तक १९५१–५२ का संबंध है, अंतिम लेखे (Final accounts) अभी तक नहीं मिल सके हैं, लेकिन दोहराये गये तखमीनों के देखने से पता चलता है कि बाहर से मंगाये गये गेहूं का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण खाद्यान्न योजना के सिलसिले में जो भारी नुकसान हुआ है उसे पूरा करने के लिये १ करोड़ रुपये की धनराशि पूंजी में संक्रमित (transfer) कर देने पर भी इस बात की संभावना थी कि राजस्व के ऊपर व्यय केवल ४१ लाख रुपया अधिक होगा, और केन्द्र से राज्य को मिलने वाले अनुदानों की बकाया रकमों का हिसाब वर्ष के अंतिम लेखे में हो जाने पर तो इस अधिक व्यय के घट कर बरायनाम रह जाने या शायद बिल्कुल न रह जाने की भी संभावना थी।

१३—जहां तक हमारी सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति का संबंध है, हमने इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रक्खा है कि हम सावधानी और सुरक्षा के पथ पर चलें जैसा कि सदस्य देखेंगे, जनोपयोगी योजनाओं से इस राज्य को जो ब्याज मिलता है वह उस रकम से अधिक है जो यह राज्य अपने सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज के रूप में देता है। सदस्य यह भी देखेंगे कि इन ऋणों को कम करने या उनसे बचने के लिये हर साल बहुत सा रुपया अलग रख दिया जाता है। उन ऋणों के संबंध में भी जिनके लिये सरकार ऋण परिशोध निधि (सिंकिंग फंड) रखने के लिये बाध्य नहीं है, हमने ऐसी निधियां कायम की हैं और उनमें हम पर्याप्त वार्षिक अंशदान देते हैं। हम जिस नीति पर चल रहे हैं उसके नतीजे बताने के लिये मैं मिसाल के तौर पर सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा कि २ करोड़ रुपये का जो ऋण इस वर्ष देय है उसकी पूरी रकम संबंधित ऋण परिशोध निधि (appropriate sinking fund)

70766

में पिछले वर्ष ही जमा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि इन बातों से यह अच्छी तरह पता चल जायेगा कि पिछले कार्यकाल में राजस्व और व्यय संबंधी जो नीति अपनाई थी बहुत ही सुदृढ़ आधार पर चलाई गई थी।

१४––पिछले कुछ मिनटों में मैंने जो बातें कही हैं उनसे यह पता चल जायगा कि पिछले कार्यकाल में हम सारे देश की आर्थिक और वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुये अपने विकास संबंधी कार्यक्रम को बदलने के लिये मजबूर होते रहे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आगई है कि उसी हद तक परिवर्तन करते रहने की आवश्यकता नहीं रह गयी है और आखिरकार यह संभव हो गया है कि अपने ही राज्य की समस्याओं के प्रति हम और अधिक निश्चयात्मक रुख अपना सकें। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने मुद्रास्फीति कम करने के लिये जो कार्यवाहियां की हैं उनके नतीजे आखिरकार अब दिखलाई पड़ने लगे हैं। मुद्रास्फीति रुक गई है और उस पर काबू पा लिया गया है और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के दाम अब धीरे-धीरे गिर रहे हैं। विभाजन के कारण जो समस्यायें उठ खड़ी हुई थीं उन्हें अधिकतर हल कर लिया गया है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में स्थायित्व आ गया है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को विशेषरूप से आशाजनक नहीं कहा जा सकता है फिर भी वह कम से कम पहिले से अब अधिक शांत है। भूतपूर्व भारतीय रियासतों के मिला लिये जाने और देश के अधिकतर भागों में शक्तिशाली कांग्रेस सरकारें फिर से बन जाने के कारण आंतरिक राजनीतिक स्थिति में ऐसी सुस्थिरता आ गई है जैसी कि पहिले कभी नहीं देखी गई थी। सिंचाई की विभिन्न योजनायें जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में हम पूरा कर सके हैं, उनके कारण, जहां तक हमारे राज्य का संबंध है, हमने अनाज में आत्मनिर्भरता (self-sfliuciency) प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की है। चूंकि अब बारिश शुरू हो गई है और आशा है कि सामान्य वर्षा होगी, हम लोग अपने को उस स्थिति में पहुंचा हुआ समझ सकते हैं जब हम गम्भीरता से विचार करें कि क्या हम खाद्यान्न की सप्लाई और वितरण में होने वाले व्यय से छुटकारा पा सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मजदूरों की हालत संतोषजनक है। किन्तु सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि जमींदारी उन्मूलन के संबंध में हमारी पिछले पांच ५ वर्षों की लगातार कोशिश सफल हुई है और किसान को उस आर्थिक दासता से मुक्ति मिल गई है जिसके कारण उसके आत्म-सुधार के अनेक पीढ़ियों से किये जाने वाले सभी प्रयत्न बेकार होते रहे हैं। सदियों के बाद पहिली बार किसान आर्थिक क्षेत्र में फिर से एक स्वतंत्र आदमी के रूप में आया है और उसका उस भूमि में जिसे वह जोतता है स्थायी स्वत्व है और अपने देश को जिसे कोआपरेटिव कामनवेल्थ बनाने की हम सब की उत्कट इच्छा है उसमें वह मुख्य निर्माता के रूप में आया है। सचमुच इस मंत्रिमंडल के लिये यह बड़े गर्व का अवसर था जब कि पिछले मंगलवार को यह सरकारी तौर पर घोषित किया गया कि कानून की रू से जमींदारी का विनाश हो गया और ग्राम समृद्धि के मार्ग का सब से बड़ा रोड़ा अन्तिम रूप से हटा दिया गया। कृषि संबंधी आर्थिक व्यवस्था (Agricultural Economy) और गांव पंचायत के कार्यकारी संगठन में इस मुख्य परिवर्तन के हो जाने के कारण अब ग्रामीणों के सहयोग से देहातों में बड़े पैमाने पर सुधार करने का रास्ता खुल गया है। इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project) में, जिसे हम 'पर्यप्रदर्शन द्वारा स्वावलम्बन" (Guided self-help) का एक प्रयोग कह सकते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, और राज्य के विभिन्न भागों में, इसी प्रकार के प्रयोगों को एक बड़े पैमाने पर करने के लिये अमेरिका से सहायता मिलने का वचन मिला है। अंत में, हाल के आम चुनाव के परिणाम स्वरूप सरकार को किसी भी योजना को जिसे वह अब हाथ में ले पूरा करने के लिये पांच वर्ष का अबाधित समय (uninterrupted period) प्राप्त हो गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये इस समय हमारी उन विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक जोरदार आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिये परिस्थिति खासतौर से अनुकूल समझी जानी चाहिये, जो अब तक जरूरी प्रशासकीय समस्याओं तथा वित्तीय संकट के कारण इतने दिनों से स्थगित पड़ी रहीं।

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

१५—मैं ऐसा विचार करता हूं कि चतुर्मुखी विकास आन्दोलन प्रारम्भ करने का औचित्य और वास्तव में उसकी बड़ी जरूरत सब को स्पष्ट है। हमारी जनता को बहुत अर्से तक निर्वाह के बहुत नीचे स्तर पर रहना पड़ा था। जो खाद्य के लिये मानसून की दया पर आश्रित थे, पहनने को कपड़े तथा रहने को घर न थे, शिक्षा पाने का अवसर नहीं था और अपने प्रयत्न से अपने भाग्य को अच्छा न बना सकते थे, उनको, जब देश को आजादी मिली, आशा हुई कि जल्द देश में आर्थिक समृद्धि हो जायेगी। हम लोगों के लिये यह एक कटु अनुभव था कि राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयों के कारण हमारे प्रत्येक प्रयत्न में बाधा पड़ती थी, जो हम अपने देशवासियों को पर्याप्त मात्रा में कृषि सम्बन्धी, औद्योगिक और अन्य टेक्निकल सुविधायें देने का प्रयत्न करते थे और यदि वे उपलब्ध होतीं तो हम देश की स्वरूप को बदल देते। हमारे पास अच्छी भूमि, लंबे-चौड़े जंगल, ऐसे बड़े २ जलकुंड जिनमें अक्षय एक विद्युत शक्ति प्रदान करने की क्षमता है अत्यधिक जन-शक्ति अथवा इसके अतिरिक्त भी अन्य साधन हमारे पास हैं। हमारी कमी यह है कि हमारे पास इन भौतिक साधनों का तेजी से विकास करने के लिये ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे देश को तुरन्त ही लाभ पहुंचाया जा सके। यहां तक कि विकास संबंधी कार्य के ढंग तथा कार्यक्रम की रूप रेखा भी काफी हद तक बनाई जा चुकी है, जो राज्य तथा केंद्रीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित है। परन्तु विकास करने के साधनों को प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण विकास की प्रगति में निस्संदेह बहुत शिथिलता आ गई है और, मैं यह फिर कहूंगा कि यह कठिनाई उन कारणों से उत्पन्न हुई जिनके कारण पिछले चार वर्षों में देश के वित्तीय साधनों को आवश्यक राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के हल करने में लगाना पड़ा, जिनसे बचने का कोई उपाय न था। किन्तु अब जब कि ये समस्यायें हल होती जा रही हैं हम अपनी सारी ताकत को एक चित्त होकर अपने मुख्य उद्देश्य में लगाना चाहते हैं, जिनके लिये हमने पद ग्रहण किया है अर्थात् हम में जितनी शक्ति है उससे हम सामान्य जनता को अधिक सुखी और संतुष्ट बनायेंगे। इस लक्ष्य की सिद्धि के मार्ग में पड़ने वाली कठिनाइयों को छोटी समझना ठीक न होगा। किन्तु हम लोग अपनी ओर से राष्ट्र-निर्माण की कार्यवाहियों में तेजी लाने के लिये पूरी कोशिश करने जा रहे हैं। इसके लिए चाहे हम लोगों को और अतिरिक्त कर लगाना पड़े, हम लोग आवश्यक वित्तीय साधनों को प्रस्तुत करेंगे। हमें और ज्यादा कर्ज लेने होंगे और हम यह विश्वास करते हैं कि राज्य के लोगों, खासतौर से उन बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाओं का पूरा-पूरा सहयोग हमें मिलेगा, जिनका कारबार राज्य में चल रहा है और जिनकी आमदनी का जरिया भी यही राज्य है। हमें आशा है कि भारत सरकार उदारता से हमारी सहायता करेगी। हमें यह भी उम्मीद है कि आत्म-निर्भर बनने की स्थानीय (मुकामी) योजनाओं के सिलसिले में धन या श्रम के रूप में स्वेच्छा से सहायता देने की हमने जो अपील की उसका नतीजा भी काफी उत्साह बढ़ाने वाला होगा। इन सब बातों का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि लोगों को काफी त्याग करना पड़ेगा। उन्हें और भी अधिक मेहनत करनी होगी और उत्पादन बढ़ाना होगा। लेकिन मैं उन्हें यह बात याद रखने के लिये कहूंगा कि जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी बेहतरी के लिये है। उन्हें यह याद रखना चाहिये कि इस समय वे जो कुछ भी कार्य करेंगे उसका सौ गुना फल उन्हें तथा उनके बच्चों को भविष्य में मिलेगा। उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि इन मामलों में सरकार राष्ट्रीय प्रयत्नों का केवल एकीकरण और निर्देशन कर सकती है। प्रयत्न करने का भार तो जनता पर ही पड़ेगा और उसे ही इसे संभालना चाहिये। हर राष्ट्र कठोर परिश्रम से ही अपने को खुशहाल बना सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

१६—मैं अब कुछ आंकड़े (figures) संक्षेप में यह बतलाने के लिये पेश कर रहा हूं कि चालू वर्ष के बजट तखमीनों, पिछले वर्ष के दोहराये हुये तखमीनों और त्योरिस साल (year before last) के वास्तविक आंकड़ों (actuals) को देखते हुये, सरकार की वित्तीय स्थिति (Financial position) कैसी है।

१७—नीचे दिये हुये नक्शे में १९५०–५१ के लेखे (accounts) संक्षेप में दिये गये हैं :—

		(लाख रुपयों में) मूल बजट (Original budget)	वास्तविक आंकड़े (Actuals)
आरम्भिक-शेष (opening balance)	..	६१,	२,४६,
(१) संचित निधि :— (Consolidated fund)			
(क) राजस्व शीर्षक- (Revenue Heads)			
(१) प्राप्तियां (Receipts)	..	५२,२६,	५१,८९,
(२) व्यय (Charges)	..	५२,२१,	५१,८४,
शेष (Balance)	..	+५,	+५,
(ख) पूंजी व्यय (Capital Expenditure)	..	११,४८,	९,४५,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net receipts from public loans)	..	+६,००,	+८५,
(घ) अन्य ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [(Other debts and deposit heads (Net))]	..	+४,०३,	+३,३५,
(२) आनुषंगिक निधि (Contingency fund)	.. ..	.. .	+४,००,
(३) सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public account (Net)]	.. ..	+१,६७,	+५,८८,
इस वर्ष में हुये सभी लेन देन का शुद्ध फल (Net result of all the transactions in the year)	..	+२७,	+४,६८,
अंतिम-शेष (Closing balance)	..	+८८,	+७,१४,

१८—ऊपर के नक़शे को देखकर यह पता चलेगा कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियां (Actual revenue receipts) और राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) दोनों मूल बजट की अनुमानित (तखमीनी) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से कुछ ही कम हैं जिसके फलस्वरूप वास्तविक बचत (actual surplus) निकटतम लाख रुपयों में उतनी ही है जितने का तखमीना मूल बजट में किया गया है। भारत सरकार से जितनी रक़म मिलने

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

की उम्मीद की जाती थी उससे कम (रक़म) मिलने के कारण विस्थापित व्यक्तियों (displaced persons) को फिर से बसाने की योजनाओं के पूंजी-व्यय (Capital Expenditure) में करीब करीब दो करोड़ रुपये की कमी की गयी। राज्य व्यापार योजनाओं के व्यय में ४ १।२ करोड़ रुपये से कुछ अधिक कमी हुई, जिसकी वजह यह थी कि गल्ला बराबर उम्मीद के मुताबिक न हो सकी थी। साल के दौरान में यह तय किया गया था कि विधान-मंडल (Legislature) द्वारा मंजूर किये जाने तक अप्रत्याशित (unforeseen) और अनिवार्य व्यय (unavoidable expenditure) को पूरा करने के लिये एक राज्य आनुषंगिक-निधि (state contingency fund) कायम की जाय; और इस निधि (fund) में चार करोड़ रुपये की एक रकम संक्रमित की गई थी।

१९५१-५२ के दोहराये हुई तखमीनों के संबंध में स्थिति संक्षेप में इस प्रकार से है :—

	(लाख रुपयों में) मूल बजट	दोहराये हुये
आरंभिक शेष— (opening balance) ..	९१,	७,१४,
(१) संचित निधि :— (Consolidated fund)		
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Heads)		
(१) प्राप्तियां (Receipts) ..	६१,२६,	५७,०६,
(२) व्यय (Charges) ..	६१,५१,	५७,०६,
..	—२५,	..
(ख) पूंजी व्यय (Capital Expenditure) ..	१६,७९,	१५,३९,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से शुद्ध प्राप्तियां (Net receipts from public loans) ..	+४,००,	-६,१८,
(घ) अन्य ऋण तथा जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debt and deposit heads (net)] ..	+११,३९,	+१०,४७,
(२) आनुषंगिक निधि :— (Contingency fund)	.	..
(३) सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public account (net)]	+१,६१,	-६,६४,

	[लाख रुपयों में] मूल बजट	दोहराये हुये
इस वर्ष में हुये लेन देन का शुद्ध फल (Net result of all the transactions) ..	–४	–५,२८,
अन्तिम शेष (closing balance) ..	८७,	१,८६,

२०––राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) और व्यय के दोहराये हुये तखमीने, दोनों ही, मूल बजट के तखमीनों से करीब-करीब ४॥ करोड़ रुपये कम थे जिसका मुख्य कारण यह था कि १९५१–५२ ई० में जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं हो सका किन्तु तखमीनी राजस्व प्राप्तियों में करीब करीब ४१ लाख रुपये की वह धनराशि भी शामिल है जिसे आय के ऊपर व्यय की उस अधिक धनराशि को पूरा करने के लिये जिसका अनुमान लगाया गया था, राजस्व सुरक्षित निधि से संक्रमित किया गया था। मूल बजट में सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्टरी के निर्माण की लागत के सिलसिले में सरकार द्वारा दिये गये अंशदान के लिये रक्खी गई रकम के संभवत: न इस्तेमाल किये जाने के कारण और मिर्जापुर की सरकारी सीमेंट फैक्टरी प्रोजेक्ट पर उस व्यय से जिसकी आरम्भ में उम्मीद की जाती थी कम खर्च होने के कारण ही पूंजी व्यय में वह कमी हुई है जिसकी आशा की जाती है।

२१––बजट के तखमीने (Budget Estimates) नीचे दिये गये हैं :––

(लाख रुपयों में)	
आरंभिक शेष (Opening balance)	२२,
१––संचित निधि (Consolidated fund)––	
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Heads)	
प्राप्तियां (Receipts) ..	६०,९९,
व्यय (Charges) ..	६५,२३,
	–४,२४,
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure) ..	२०,७४,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां .. (Net receipts from public loans)	+ ११,००,
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debts and deposit heads (net)] ..	+ ३,८८,
२––आनुषंगिक निधि (Contingency fund) ..	.. ..
३––सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public account (net)] ..	+ ११,८०,
इस वर्ष में हुये सभी लेन देन का शुद्ध फल (Net result of all the transactions) ..	+ १,७०,
अंतिम शेष (Closing balance) ..	+ १,९२,

२२––जमींदारी विनाश के साथ, राजस्व प्राप्तियां अब अन्तिम रूप से ६० करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं। किन्तु, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, विकास के भारी कार्यक्रम

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

के कारण जिसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, और बाहर से मंगाये गये गेहूं की क़ीमत बढ़ जाने की वजह से जो अनाज संबंधी असाधरण बड़ी हानियां उठानी पड़ीं, उनके कारण राजस्व व्यय का तखमीना प्राप्तियों के तखमीने से ४,२४ लाख रुपये अधिक हो गया है। इन्हीं कारणों से पूंजी व्यय का तखमीना भी २०,७४ लाख रुपये तक बढ़ गया है, जिसमें से जो खास-खास रकमें रखी गयी, वह ये थीं:—सिंचाई, जल-विद्युत तथा वाष्प के निर्माण-कार्यों के लिये, ९,३८ लाख रुपया, सरकारी व्यापार संबंधी योजनाओं के अधीन होने वाले शुद्ध खर्चे को पूरा करने के लिये [illegible],५६ लाख रुपये, सीमेंट फैक्टरी प्रोजेक्ट के लिये १,२५ लाख रुपये, इमारतों और सड़कों के लिये [illegible],९१ लाख रुपये और दूसरी पूंजी मदों के लिये, जिनमें विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास संबंधी योजनायें भी शामिल हैं १,४९ लाख रुपये।

२३—अपने पिछले कार्यकाल में सरकार द्वारा अपनाई गयी वित्तीय तथा प्रशासकीय नीतियों के फलस्वरूप राज्य की जनता को जो ठोस फायदे पहुंचे हैं उन्हें मैं अब आपकी सूचना के लिये संक्षेप में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष में बजट के तखमीनों में बताई हुई सीमा तक काम कर चुकने के बाद हमें और किन-किन फायदों के पहुंचने की आशा करनी चाहिये।

२४—मैं शुरू में माननीय सदस्यों को इस बात की याद दिलाऊंगा कि प्रशासकीय और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले पांच साल कई बातों में असाधारण रहे हैं; और हमको बार-बार ऐसी नाजुक हालतों का सामना करना पड़ा, जिनसे न केवल हमारी शक्तियां और साधन राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों से हटकर दूसरी ओर लग गईं बल्कि जिनसे समाज के जीवन के साधारण व्यापार के भंग होने का भी खतरा पैदा हो गया था और इस तरह देश द्वारा की गई अब तक की उन्नति को भी धक्का लगने का डर था।

कानून और व्यवस्था

२५—आपको यह याद होगा कि प्रशासन की बागडोर संभालने के थोड़े ही दिनों बाद हम लोगों को कानून और व्यवस्था संबंधी एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। सत्ता के हाथ में दिये जाने के ठीक पहले की राजनैतिक स्थिति की अस्थिरताओं से तथा बटवारे के समय इस राज्य के बाहर होने वाले दंगों से जनता के दिलों पर जो प्रतिक्रियायें हुई उनसे ऐसे तनाव हो गये जो किसी भी समय व्यापक दंगों का रूप धारण कर सकते थे। इसके साथ ही साथ, जैसा कि किसी युद्ध के बाद हमेशा होता ही है, ऐसे हिंसा के अपराध जैसे डकैतियां, राहजनी, क़त्ल, वगैरह तेजी के साथ बढ़ रहे थे। कुछ समय के लिये तो लोगों को यह भी होने लगा था कि Administration) इन अव्यवस्था की शक्तियों का सामना न कर पायेगा इसलिये हमें इस बात से कुछ संतोष होता है। कि हम यह कहने के काबिल हैं कि हमने दृढ़ और निष्पक्ष कार्य नहीं करके, पुलिस दल का पुनस्सगंठन करके और उसकी संख्या बढ़ा कर और डकैतों तथा लुटेरों के गिरोहों का पता लगाकर उनका सफाया करने के लिये पुलिस की विशेष पार्टियां भेजकर [illegible] प्रारम्भिक संकट पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की है [illegible] बहुत थोड़े ही समय के अन्दर राज्य में साधारण हालतें फिर से ला दी हैं।

विस्थापित व्यक्ति

२६—बंटवारे से ही पैदा होने वाली विस्थापित व्यक्तियों की समस्या भी थी। ऐसे लाखों ही व्यक्तियों के लिये जो अपने घरों से जबरदस्ती हटाये जाने के कारण यहां विभिन्न प्रकार की गरीबी की हालत में आये, हमें मकानों, भोजन और कपड़ों का बहुत जल्दी ही प्रबन्ध करना पड़ा। बाद में इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा इनको राज्य के सामाजिक ढांचे में मिलाने की बड़ी भारी समस्या सामने आई। इस बारे में हमने जो विभिन्न कार्यवाहियां कीं उनके फलस्वरूप दो लाख से ऊपर इन विस्थापित व्यक्तियों को अब किसी न किसी व्यापार या उद्योग-धंधे में लगा दिया गया है। इस समय बाकी विस्थापित व्यक्तियों के फायदे के

लिये हमारे हाथ में राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में ४ बड़े शरणार्थी नगर स्थापित करने का कार्य है। अब हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि यह समस्या जिसने किसी समय इतनी अधिक मुश्किलें पैदा कर दी थीं और जिसके कारण इतनी अधिक प्रशासकीय चिन्ता पैदा हो गई थी, अब शीघ्र ही हल होती जा रही है।

वस्तुओं का नियंत्रण (Control)

२७—ऊपर बताई हुई समस्या के साथ ही साथ, हमें देश के भीतर अत्यावश्यक उपभोक्ता सामग्री (Essential consumer goods) की बहुत भारी कमी, खासकर अनाज की कमी से, पैदा होने वाली दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। चूंकि इस बात का पक्का भरोसा दिलाने का कि हर नागरिक को उचित मूल्यों पर अपनी भोजन कपड़े और दूसरी जरूरी चीजों की कम से कम आवश्यकता पूरी हो सके, कोई और अमली तरीका नहीं था इसलिये हमें मजबूर होकर विभिन्न आवश्यक चीजों की सप्लाई और वितरण पर सरकारी नियंत्रण को लागू करने के प्रशासकीय और वित्तीय भारों को अपने ऊपर लेना पड़ा। १९४८ ई० में थोड़े समय के लिये अखिल भारतीय नीति के तौर पर कंट्रोल हटा लेने की नीति का प्रयोग किया गया था, लेकिन, देश में आवश्यक चीजों के काफी बड़े स्टाक न होने के कारण, जिनसे व्यापार की समाज विरोधी प्रवृत्तियां रोकी जा सकतीं, यह नीति सफल न हुई और कंट्रोल को फिर से लागू करना पड़ा। जनता को मौजूदा बिक्री (issue) की कीमतों पर अनाज सप्लाई करने की लागत का अर्थ यह है कि राज्य के कोष में से करोड़ों रुपया कम होता जा रहा है ; क्योंकि हमने इस बात का पक्का इरादा कर लिया है कि हम जिन्दगी की जरूरी चीजों की कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे, इसलिये हमने अब तक बिक्री (issue) की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं किन्तु हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से मंगाये हुये गेहूं के लिये दी जाने वाली अपनी वित्तीय सहायता (subsidy) बन्द कर दी है, और मौजूदा बिक्री की कीमतों के आधार पर इस प्रकार से होने वाले नुकसान की दर बहुत बड़ी हो गयी है। यह बड़ी खुशी की बात है कि ठीक इसी समय ऐसी हालतें पैदा हो गई हैं जिन्होंने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे हमें इस बात की आशा बंध गई है कि हम कंट्रोलों की प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त करने में और उस बड़े अनुत्पादक (unproductive) खर्चे को बचाने में समर्थ हो जायेंगे जो हमें इस समय करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी गल्ले की वसूलयाबी और बाहर से लगातार अन्न पहुंचते रहने के कारण अब राज्य तथा केंद्रीय दोनों सरकारों के पास, अन्न के काफ़ी बड़े स्टाक हो गये हैं। कुछ सिंचाई के निर्माण-कार्य, जो पिछले कुछ वर्षों में बन रहे थे, अब चालू हो गये हैं और सींची गई जमीन का रकबा बहुत बढ़ गया है। नकदी फसलों (Cash Crops) की कीमतों में जो हाल में कमी हुई है उसके कारण इस बात की संभावना हो गई है कि अब अनाज की फसलों के रकबों को नकदी फसलों के रकबे में तब्दील करने की प्रवृत्ति रुक जायगी। हाल ही में बैंक द्वारा उधार दिये जाने की सुविधाओं में कमी हो जाने से, जखीरेबाजों और चोर बाजारी करने वालों की शरारत करने की शक्ति बहुत कुछ कम हो गयी है। दुनिया भर में मुद्रास्फीति संबंधी दबाव के कम हो जाने से भी इस बात की संभावना है कि अनाजों की कीमतें कुछ गिर जायंगी और कम से कम ऊपर बताई हुई किसी भी बात के बराबर ही अहम बात यह हुई है कि इस साल वर्षा ठीक समय पर शुरू हुई है और ऐसा जान पड़ता है कि वह सामान्य ही होगी। इन हालतों को ध्यान में रख कर, सरकार ने यह तय किया है कि अनाजों की सप्लाई और राशनिंग के इंतजामों में बुनियादी तबदीलियां की जायं, इसलिये यह एलान कर दिया गया है कि इस महीने के पहिले दिन से, राज्य की सीमाओं के अन्दर अनाज को लाने ले जाने या बेचने पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन, एहतियात के तौर पर, मौजूदा राशन की दुकानें अभी खुली रक्खी जांयगी और किसी भी राशन कार्ड वाले को यह अधिकार होगा कि अगर वह चाहे तो इन दूकानों से मौजूदा सरकारी बिक्री (issue) की दरों पर अपना राशन ले लें। किन्तु यह इन्तजाम केवल एक आरजी इंतजाम होना चाहिये और हम सच्चे दिल से यह उम्मीद करते हैं कि व्यापार के सामान्य साधन काफी दक्षता के

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

साथ और जनता की ओर अपने कर्त्तव्यों को ध्यान में रख कर काम करेंगे जिससे हम थोड़े ही समय के बाद राशन की दुकानें बन्द कर देने के क़ाबिल हो जायेंगे और जनता को बनाये रखने पर जो खर्चा करना पड़ता है उसे बचा सकेंगे। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एक ऐसा दूसरा प्रशासकीय कांटा भी, जो हमें पिछली लड़ाई से विरासत के रूप में मिला था, दूर हो जायगा।

बाढ़ और दुर्भिक्ष संबंधी सहायता

२८—चूंकि इस समस्या का अनाज की समस्या से गहरा ताल्लुक़ है, मैं बाद इस समस्या का जिक्र करूंगा जिसका सामना हमें बाढ़ तथा दुर्भिक्ष-संबंधी सहायता के संबंध में करना पड़ा। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले चार सालों से इस राज्य पर एक के बाद दूसरी कृषि संबंधी आपत्ति आती रही। १९४८ ई० में बहुत भारी बाढ़ें आई जिनके कारण बहुत बड़ा नुक़सान हुआ और चीजें बरबाद हुईं। १९५० ई० में असाधारण भारी वर्षा होने से और बाढ़ों के कारण फिर खरीफ की फसलों को खास कर पूर्वी जिलों में, भारी नुक़सान पहुंचा, इन बारिशों और बाढ़ों के बाद ही एक दीर्घकालीन सूखा पड़ा, जिससे रबी की फसलों को भी नुक़सान पहुंचा। १९५१ ई० में, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। इस प्रकार जो एक के बाद दूसरी फसल खराब हो गई, इसके कारण राज्य के विभिन्न भागों में खास कर पूर्वी जिलों में, दुर्भिक्ष जैसी हालतें पैदा हो गईं। इन रक़बों में जनता को जो तकलीफें उठानी पड़ रही हैं उन्हें दूर करने की हमने लगातार कोशिशें की हैं। जहां कहीं भी इस बात की ज़रूरत थी हमने टेस्ट वर्क्स (test works) और सहायता कार्य (Relief works) शुरू कर दिये हैं। हमने इन इलाकों में तेजी के साथ अनाज पहुंचाया है और इस बात का ख्याल न करते हुये कि कितना रुपया खर्च हो जायगा, हमने अल्पाहार की योजनायें (Austerity Provisioning Schemes) चालू कीं। हमने लगान और मालगुजारी में छूटें स्वीकृत की हैं और उसका किया जाना मुलतवी किया है और उदारता से तकावी के कर्ज दिये हैं। माननीय सदस्य देखेंगे कि इस बजट में आयोजित सहायता (Gratuitous relief) और तकावी के कर्जों के लिये रक्खी गई रक़में खास कर बहुत बड़ी हैं। मई, १९५१ ई० से कच्चे कुओं के निर्माण, बीज की खरीद, बैलों की खरीद वगैरह के लिये जो तकावी बांटी गयी थी उसकी कुल रक़म २.६१ लाख रुपये तक है। उसी अवधि में टेस्ट वर्क्स (Test works) और सहायता कार्य (Relief works) के लिये जो व्यय स्वीकृत किया गया उसकी कुल रक़म ९६ लाख रुपये आती है। हम कमी वाले जिलों में कुछ बड़े और छोटे सिंचाई के निर्माण-कार्यों की योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट (project) जिसे बानगंगा केनाल प्रोजेक्ट कहते हैं पहिले ही बस्ती जिले में शुरू की जा चुकी है। हमने अब यह तय किया है कि आगे जब कभी ऐसे रक़बों में टेस्ट या सहायता कार्य शुरू होंगे, तो जहां तक संभव हो सकेगा, ऐसा निर्माण-कार्य किसी ऐसी योजना पर किया जायगा जिसका कोई स्थायी मूल्य हो और ज्यादा मुनासिब यह किया जायगा कि वह पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा हो, जिससे कि उस स्थान की जनता के लिये केवल तात्कालिक सहायता ही नहीं बल्कि स्थायी बन्दोबस्त की भी व्यवस्था हो जाय। मुझे खुशी है कि अपने अथक प्रयत्नों से हम इस बात में सफल हो गये हैं कि राज्य के किसी भाग में भी कोई वास्तविक गम्भीर विपत्ति की हालत न पैदा हो और हम अपने उस वादे को पूरा कर सके हैं जिसे हमने जनता के सामने किया था कि उस समय तक जब तक कि हम के हाथों में शासन की बागडोर है, हम इस राज्य में भुखमरी से कोई मौत न होने देंगे।

जमींदारी विनाश

२९—मैं अब उन सामाजिक और कृषि-सुधार संबंधी क़ानूनों के बारे में कुछ कहूंगा जिन्हें हमने उन रुकावटों में से कुछ रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया है जो हमारी आर्थिक प्रगति में बाधा डालती हैं। इन क़ानूनों में से सब से अधिक महत्वपूर्ण क़ानून वह है जिसके

फलस्वरूप जमींदारी टूट गयी है। एक लम्बे अर्से से जमींदारी विनाश कांग्रेस की घोषित नीति का एक मुख्य भाग रहा है। इसलिये शासन की बागडोर संभालने पर सब से पहिले जो काम हमने किया उनमें से एक यह था कि जमींदारी विनाश के सिद्धांत के लिये विधान मंडल (Legislature) की मंजूरी हासिल कर लें। उस समय राज्य में जो जटिल भौमिक अधिकार प्रणाली (Land tenure system) लागू थी उसके कारण उससे संबंधित ब्योरों की जांच और आवश्यक क़ानून बनाने का काम बड़ा कठिन साबित हुआ। फिर भी हमने १९४९ ई० के मध्य में विधान मंडल के सामने आवश्यक विधेयक पेश कर दिया। १९५० ई० में यह ऐक्ट पास हो गया। लेकिन जमींदारों ने इस ऐक्ट की वैधता पर आपत्ति की और इस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट तक ले गये। मई, १९५२ ई० में, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐक्ट को वैध ठहराया। १ जुलाई, १९५२ ई० को, यानी आज से ६ दिन पहिले, यह ऐक्ट लागू कर दिया गया और बिल्कुल शांत और वैधानिक उपायों से एक बड़ी कृषक-क्रांति (agrarian revolution) सफलता के साथ समाप्त हो गयी। अब हमारे किसान आर्थिक शोषण के भय से मुक्त होकर अपने ही प्रयत्नों से अपनी मुक्ति के लिये काम करने में स्वतंत्र हैं। अब वे अपनी जमीन में इस भरोसे के साथ सुधार-कार्य कर सकते हैं कि अब कोई और व्यक्ति नहीं, बल्कि वे स्वयं अपने परिश्रम का लाभ उठावेंगे। वे अब अपने जीवन-निर्वाह के लिये किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहे; और वे स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। इस बात में सम्भवतः अब कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि हमारे कृषि सम्बन्धी प्रणाली में किये गये इस बड़े परिवर्तन से हमारा राज्य अपनी जनता की बढ़ी हुई सम्पत्ति और पुरुषत्व से बड़ा भारी लाभ उठावेगा।

बजट की दृष्टि से जमींदारी के टूटने से राजस्व में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। चालू वर्ष में यह वृद्धि ४.७८ करोड़ रुपये की होगी। इस अतिरिक्त राजस्व का एक भाग उस खर्च को पूरा करने में लग जायगा जो जमींदारी विनाश से संबंधित कार्यों के विभिन्न मदों पर करना जरूरी होगा, जैसे प्रतिकर संबंधी तालिकायें वगैरह का तैयार करना। जो रक़म बाकी बचेगी उसके लिये हमारा यह प्रस्ताव है कि उसे भूतपूर्व जमींदारों को प्रतिकर देने के लिये जमींदारी विनाश निधि में संक्रमित कर दिया जाय। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि मूल रूप में इस निधि को इसलिये चलाया गया था जिससे काश्तकार जमींदारी समाप्त करने के खर्च के लिये अपना भाग दे सकें और इस विधि से अपनी जोतों में बहुमूल्य भूमिधरी अधिकार प्राप्त करें– जिसके लिये यह इंतजाम था कि किसान अपने सालाना लगान की दसगुनी रक़म देकर ऐसे भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर लें जो, अन्य बातों के साथ बेदखली से उनका पूर्णरूप से बचाव करते हैं। अभी तक किसानों ने इस निधि में जितना धन दिया है वह ३२ करोड़ रुपये से अधिक है।

इस संबंध में फिर भी यह उल्लेखनीय है कि जमींदारी विनाश के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त राजस्व (additional revenue) प्रति वर्ष वैसे वैसे घटता जायगा जैसे-जैसे प्रत्येक वर्ष भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जायगी और किसी भी दशा में यह राजस्व विकास संबंधी कार्यों के लिये सरकार को उपलब्ध न होगा क्योंकि भूतपूर्व जमींदारों को इसी से प्रतिकर भी दिया जायगा।

पंचायत राज

३०--ग्राम सुधार का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जिसे हमने पूरा किया है पंचायत राज का स्थापित करना है। इसका उद्देश्य यह है कि गांव को इस प्रकार संगठित किया जाय कि वह स्थानीय स्वायत शासन की एक ऐसी अंतिम कार्यकारी इकाई के रूप मे काम करे जिसके द्वारा संघ और राज्य की सरकारों की ग्राम सुधार की नीतियों को गांव के स्तर पर प्रभावकारी कार्य में परिवर्तित किया जा सके। पंचायत राज ऐक्ट १९४७ ई० में पास हुआ था। इस समय लगभग ३६ हजार गांव पंचायत और ८,४०० से अधिक पंचायती अदालतें हैं जो काम कर रही हैं। इनमें से बहुत सी संस्थाओं ने अभी भी ग्राम प्राइमरी स्कूलों, पुस्तकालयों,

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

वाचनालयों, अखाड़ों वगैरह को स्थापित करने और चलाने का अनुभव प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कई मील लम्बी गांव सड़कें निर्माण की हैं और बहुत से पंचायत घर, गांव चबूतरे वगैरह बनाये हैं। अभी तक जितना काम हुआ है उससे यह आशा की जाती है कि भविष्य में और अधिक काम होगा। चालू वर्ष में हम आशा करते हैं कि गांवों में स्वावलम्बी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये इन गांव संगठनों को सेवाओं का उपयोग करेंगे। बाद में यह संभव होगा कि हम उनको सेवाओं को जोतों को चकबन्दी, सहकारी खेती-बाड़ी (कोआपरेटिव फार्मिंग), कोआपरेटिव मार्केटिंग वगैरह की योजनाओं को कार्यान्वित करने में काम में ला सकें। जब इनका पूर्ण रूप से विकास हो जायगा, वे गांवों की सभी नियोजन (Planning) और विकास की कार्यवाहियों के केन्द्र बन जायंगी। सरकार ने अब यह तय किया है कि सरकार इन पंचायतों के सेक्रेटरियों का वेतन दे, और यह कि सरकार इन कर्मचारियों पर अपना कुछ नियंत्रण रक्खे। इसलिये बजट में इन वेतनों के भुगतान के लिये ५० लाख रुपये की एक रकम रखी गयी है। इस वर्ष इन कर्मचारियों को मलेरिया की रोक-थाम की ट्रेनिंग दी जायगी और उनसे यह आशा की जायगी कि वे उन विशेष मलेरिया निरोधक यूनिटों (Special anti-malaria unit) के साथ सहयोग करेंगे जिन्हें पब्लिक हेल्थ विभाग स्थापित करेगा। कमी वाले इलाकों की पंचायतों को अनुदान देने के लिये १ लाख रुपये की एक दूसरी रकम रक्खी गयी है।

सहकारी संगठन

३१—छोटे-छोटे टुकड़ों में कृषि संबंधी जोतों का बटा होना और संगठित क्रय-विक्रय की सुविधाओं की कमी, इन्हीं दोनों मुख्य कारणों से आजकल ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति में कमी हो गयी है। इन कमियों को दूर करने का यही एक व्यावहारिक उपाय है कि उपयुक्त सहकारी संगठनों की स्थापना की जाय। इसलिये इस दिशा में हमसे जो कुछ भी सहायता संभव हो सकी है वह हमने की है। इसके फलस्वरूप इस राज्य में प्रत्येक तीन गांवों में से एक में एक सहकारी समिति काम कर रही है, जो गांव की आर्थिक कार्रवाइयों में से किसी एक या दूसरी कार्रवाई में लगी हुई है। प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन का काम उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों की कार्रवाइयों और उसी प्रकार की उत्पादकों की सहकारी समितियों की कार्रवाइयों को मिलाना है। प्राविंशियल कोआपरेटिव बैंक और उसकी शाखायें वित्त संबंधी प्रबन्ध करती हैं। फेडरेशन और बैंक, यह दोनों संस्थायें अपनी कार्रवाइयों को गांवों में दृढ़ता से बढ़ा रही हैं। भूमि उपनिवेशन सहकारी समितियां (Land Colonisation Co-operative Societies) और सहकारी दूध संघों (Co-operative milk unions) को भी संगठित किया गया है और उनका कार्य ठीक-ठीक चल रहा है। नवीनतम प्रयोग यह हुआ है कि सहकारी खेती-बाड़ी और ट्यूब वेलों से सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिये सहकारी समितियां बनायी गयी हैं। इससे अभी तक जो परिणाम निकले हैं, वे बहुत उत्साह बढ़ाने वाले हैं। इसलिये हमने सहकारी खेती-बाड़ी (Co-operative farming) के लिये और अधिक समितियां बनाने, ट्यूब वेलों के निर्माण तथा छोटे-छोटे बिजली घरों आदि की स्थापना करने के लिये सहकारी समितियों को ऋण देने के लिये बजट में विशेष व्यवस्था की है।

नशा बंदी

३२—हमने अभी तक राज्य के ११ जिलों में नशा बन्दी की है। वित्तीय और प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न न हों, इसलिये नशाबन्दी की प्रगति कुछ धीमी रही है, क्योंकि नशाबन्दी की घोषणा करना ही काफी नहीं है जब तक कि उसका आदर्श दृढ़ता से लोगों के मन में न बैठ जाय। इसलिये इस समय नशा बन्दी सम्बन्धी कार्यवाहियों और उसके प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। आबकारी कर और लाइसेंस के शुल्क (फीसें) बढ़ा दिये गये हैं।

गत वर्ष सारे राज्य के लिये अफीम की खपत का कोटा और अधिक कम कर दिया गया था। तथा चालू वर्ष में यह कोटा और भी कम कर दिया जायगा।

हरिजनों और अन्य पिछडी जातियों का सुधार

३३—अब मैं कुछ शब्दों में उन कार्यवाहियों को बतलाऊंगा जो हमने जनता के वर्गों और समाज के कुछ विभागों की अक्षमताओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिये की हैं। हमने पिछड़ी हुई जातियों की सहायता के लिये प्रांविंशियल हरिजन सहायक अफसर (Provincial Harijan Sahayak Officer) के अधीन एक विशेष हरिजन सहायक विभाग खोला है। हमने हरिजनों की भलाई के लिये बनी योजनाओं के संबंध में परामर्श देने के लिये एक प्रांविंशियल हरिजन बोर्ड (Provincial Harijan Board) की स्थापना की है। हमने इन जातियों के लोगों के लिये शिक्षा की विशेष सुविधाओं और नौकरी दिलाने के अवसरों की व्यवस्था की है। उन सब सरकारी नौकरियों में से दस प्रतिशत नौकरियां जिनमें सीधी भर्ती होती है, हरिजनों और अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रक्खी गई हैं।

श्रम–कल्याण

३४—औद्योगिक क्षेत्रों में हमने अनेक सुधार किये हैं। हमने बड़े औद्योगिक कारखानों में मजदूरों को प्रामाणिक स्तर पर रखने के लिए कार्रवाइयां की हैं। चूंकि प्रामाणिक मजदूरियों का बहुत सी हालतों में जीवन-निर्वाह व्यय के आंकड़ों से सम्बद्ध रहता है और जब कारखानों को लाभ होता है तो उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बोनस भी मिलता है, इसलिये यह कहना ठीक है कि मजदूर आजकल के बढ़े हुए जीवन-निर्वाह व्यय के प्रतिकूल प्रभावों से बहुत कुछ बच गये हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले ४० श्रम हितकारी केन्द्रों में मजदूरों को चिकित्सा सहायता, मातृत्व और शिशु कल्याण के लाभ तथा मनोरंजन और खेल-कूद की सुविधायें दी जा रही हैं। चालू वर्ष में रामपुर और झांसी में ऐसे दो नये केंद्र खोलने का हमारा विचार है। अब कानपुर में मजदूरों के लिये स्वास्थ्य संबंधी बीमा (Health Insurance) की महत्वपूर्ण योजना लागू की गयी है। मजदूरों के लिये आधुनिक ढंग का एक टी० बी० क्लीनिक भी वहां पर खोल दिया गया है, हमने मजदूरों के लिये मकान बनाने के प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया है। आजकल शकर के कारखानों के मजदूरों के लिये अधिक संख्या में मकान बनाने का काम हो रहा है। कानपुर जैसे शहरों में मजदूरों की गन्दी बस्तियों को साफ-सुथरा बनाने का काम भी चल रहा है। यदि केन्द्रीय सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता मिल जाय तो हम कानपुर और लखनऊ के कारखानों के मजदूरों के लिये बड़ी संख्या में मकान बनाने का काम इसी वर्ष शुरू करने की आशा करते हैं। इस प्रयोजन के लिये बजट में ७५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। हमारे लिये यह संतोष की बात है कि पिछले दो वर्षों में इस राज्य में कोई बड़ा औद्योगिक झगड़ा नहीं हुआ।

राजनीतिक पीड़ित

३५—जनता का एक और वर्ग राजनीतिक पीड़ितों का है जिसकी सहायता के लिये हमने विशेष कार्रवाइयां की हैं। जब हमने पद ग्रहण किया तो हमने सभी राजनीतिक बन्दियों को तुरन्त छोड़ दिया। १९४१–४२ ई० के स्वतंत्रता-आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर अदालतों ने जो जुर्माने किये थे, उनकी वापिसी के लिये हमने आदेश जारी किये। उन व्यक्तियों और संस्थाओं को मुआविजे की रक़में भी दी गईं। जिन्होंने १९४२ ई० के आन्दोलन के सिलसिले में संपत्ति को हानि पहुंचने या उसके जप्त किये जाने के कारण नुक़सान उठाया था, उन राजनीतिक पीड़ितों को मासिक पेन्शनें दी गई, जो बूढ़े और कमजोर हो गये थे। इस लेखे पर होने वाला आवर्तक व्यय (recurring expenditure) अब लगभग

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

३ लाख रुपये प्रति वर्ष है । हमने राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों (dependents) के लिये विशेष छात्र वृत्तियों की व्यवस्था की है । इस बजट में इस कार्य के लिये ७५,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है।

कम वेतन पाने वाले कर्मचारी

३६—मैं इस जगह इस बात का भी जिक्र कर दूं कि शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के तुरन्त बाद ही हमने कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिये कार्यवाहियां कीं। अब हमने उनके लिये मकानों के निर्माण के मामले में भी कुछ काम कर लिया है । हमने चालू वर्ष के बजट में मध्यवर्ग के व्यक्तियों के मकानों के निर्माण की योजनाओं के लिये २५ लाख रुपये की एक विशेष व्यवस्था की है।

शिक्षा

३७—अब मैं संक्षेप में उन कार्रवाइयों के संबंध में कुछ कहूंगा जिनका संबंध सामाजिक सेवाओं से है।

३८—सब से अधिक राजस्व व्यय जिसे इस समय सरकार खर्च कर रही है वह शिक्षा पर हो रहा है । व्यय की रक़म, जो १९४५-४६ में २,६५ लाख रुपये थी, अब ८,१० लाख रुपये तक हो गई है । शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो १९४६ ई० में २० लाख से कुछ अधिक थी, अब ३२ लाख से अधिक हो गई है। १९४६ ई० के १६ हजार प्राइमरी स्कूलों के मुकाबले में, अब ऐसे ३३,००० स्कूल हैं। अब राज्य की ८६ म्यूनिसिपैलिटियों में लड़कों के लिये अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा चालू है । १७ कालेजों के मुकाबले में, अब ४८ कालेज हैं। सेकन्डरी स्कूलों, टेक्निकल संस्थाओं वगैरह की संख्या भी इसी प्रकार बढ़ गई है । शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा वास्तविक उद्देश्य केवल यही नहीं है कि विद्यार्थी को सैद्धान्तिक शिक्षा (academic instruction) दी जाये बल्कि अमली तौर की ऐसी ट्रेनिंग दी जाय जिससे वह इस योग्य हो जाय कि बाद में वह संघ का एक उपयोगी, उत्पादक और स्वावलंबी नागरिक बन सके । चूंकि इस देश में किये जाने वाले अधिकांश कामों का संबंध कृषि से होता है इसलिये हम अधिक से अधिक महत्व इस बात को दे रहे हैं कि व्यावहारिक कृषि (Practical Agriculture) हमारे स्कूलों में अध्ययन का एक विषय हो । अब हर एक नार्मल स्कूल में एक फार्म होगा जिसमें कृषि की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जायगी । हमें आशा है कि अगले कुछ वर्षों में हमारे लिये यह संभव हो जायगा कि हम स्कूल और कालेजों के पाठ्य-विषयों में नियमित रूप से किसी प्रकार की समाज-सेवा को भी स्थान दे सकें । जहां तक टेक्निकल शिक्षा का संबंध है, विद्यार्थियों को हर साल नयी-नयी सुविधायें दी जा रही हैं। रुड़की यूनिवर्सिटी का विकास धीरे-धीरे उच्चतर इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षा देने के केंद्र के रूप में किया जा रहा है । विभिन्न मेडिकल कालेजों को जो सुविधायें प्राप्त हैं उनमें लगातार वृद्धि की जा रही है । परिवहन विभाग (Transport Department) ने आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में विशेष कोर्स संगठित किये हैं और कुटीर-उद्योग (Cottage Industries) के डायरेक्टोरेट (संचालन विभाग) द्वारा चलायी गयी शिक्षण-कक्षाओं (tuitional classes) में कई व्यापारों और शिल्प कलाओं (Crafts) की व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है।

शिक्षा के विषय पर बोलते हुये मैं उस मामले का भी जिक्र कर देना आवश्यक समझता हूं जो सरकार के लिये चिन्ता का कारण बना हुआ है । सदस्यों को मालूम है कि हमारी कुछ यूनिवर्सिटियों ने बहुत भारी कर्जे ले लिये हैं और यह भी कि इस विषय पर जनता में आम चर्चा चल रही है । अब ऐसी स्थिति आगई है कि जिन कारणों से इन यूनिवर्सिटियों की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि उन्हें दूर करने के लिये प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जाय । शिक्षा के हित की दृष्टि से सरकार इन युनिवर्सिटियों को अपने कर्जे की अदायगी के लिये आवश्यक अनुदान देने को तैयार है किन्तु शर्त यह है कि इन यूनिवर्सिटियों की भावी साख और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिये यथेष्ट उपायों की व्यवस्था की जा सके ।

चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य

३९––अपने वर्तमान वित्तीय साधनों को देखते हुये राज्य के सभी लोगों को चिकित्सा की पर्याप्त सुविधायें देना असम्भव है, लेकिन जहां तक संभव हो सका है हमने इस प्रकार की सुविधायें बढ़ायी हैं। देहाती दवाखानों के संख्या बढ़ा कर क़रीब-क़रीब दूनी कर दी गयी है। हमने अब क़रीब-क़रीब हर ज़िला अस्पताल में एक्स–रे सज्जा की व्यवस्था कर दी है। डाकपाथर में एक नये टी० बी० सैनिटोरियम की स्थापना कर दी गयी है। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये प्रभावपूर्ण ढंग से की गयी कार्यवाहियों के फलस्वरूप महामारियों की उग्रता प्रत्यक्ष रूप से कम हो गयी है। राज्य में ट्रेनिंग पाये हुये डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिये चिकित्सा संबंधी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें बढ़ा दी गयी हैं। चालू वर्ष में हम कुछ और एलोपैथिक दवाखाने खोलने का विचार कर रहे हैं; लेकिन सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य जिसे हम हाथ में लेना चाहते हैं, १० मलेरिया निरोधक यूनिटों का स्थापना है। यह कार्य ५ वर्ष के भीतर राज्य में मलेरिया समाप्त करने की योजना का एक अंग है। चालू वर्ष में राज्य के वर्तमान अस्पतालों की सज्जा और इमारतों के सुधार में भी हम काफ़ी बड़ी रक़म खर्च करेंगे। इन निश्चयों के कारण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तख़मीनी रक़म से ३१ लाख रुपये की बढ़ती हुई है।

क़ानून (विधि) और न्याय (इन्साफ़)

४०––न्याय प्रशासन (Judicial administration) के क्षेत्र में भी हमने जुडिशियरी की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उनकी स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिये अनेक सुधार किये हैं। राज्य की सारी न्याय–प्रणाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन रखने के उद्देश्य से उक्त हाई कोर्ट और लखनऊ के चीफ कोर्ट को १९४८ ई० में मिला दिया गया था। १८ जिलों में न्याय तथा प्रबंध संबंधी (Judicial and executive) कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया है। चालू वर्ष में कुमायूं में भी दिवानी अदालतें कायम करने की व्यवस्था की गयी है। अदालतों द्वारा मुकदमों के फैसले जल्दी कराने के लिये कार्रवाइयां की गई हैं। सबार्डिनेट-जुडीशियल अफसरों की संख्या काफी बढ़ा दी गयी है। विधि प्रणाली (Legal system) को सरल बनाने और मुकदमों के फैसले में देर लगने के कारणों को दूर करने के बारे में सिफारिशें करने के लिये पिछले वर्ष एक हाई पावर्ड जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी नियुक्त की गयी थी। उक्त कमेटी (समिति) ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। और उस रिपोर्ट पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

खाद्य उत्पादन में सुधार

४१––अब मुझे राज्य के भौतिक साधनों (Material resources) के विकास की योजनाओं के बारे में कुछ कहना है, यानी कृषि, पशु-पालन, सिंचाई, बिजली की शक्ति, उद्योग-धन्धों, सड़कों और सड़क परिवहन (Transport) के विकास के संबंध में ज़िक्र करूंगा।

४२––जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, खेती की उपज और पशु-धन की उन्नति की योजनाओं को सरकार ने प्राथमिकता दी है। जब हमें अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था तब भी जरूरत पड़ने पर हमने दूसरे विभागों को मांगों में काट-छांट करके इन योजनाओं के लिये आवश्यक धनराशि को व्यवस्था की। इस नीति का नतीजा काफी अच्छा रहा है। मार्च, १९५२ ई० के अन्त तक बुन्देलखंड रीजन में नगवा बांध बन कर पूरा हो गया था। ललितपुर बांध, सपरार बांध और कबराई लेक प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य भी काफ़ी हद तक हो चुका था। पूर्वी जिलों में ९६ ट्यूब वेल बनाये गये। गोरखपुर जिले में रोहिन और दांदा नाम की दो छोटी-छोटी ग्रैविटी नहरें (Gravity Canal) और रामगढ़ पम्प नहर बनाई गई। अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के अन्य जिलों में जहां अन्न कम पैदा होता है

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

९७ मील लम्बी छोटी-छोटी सिंचाई की नालियां बनाई गयीं और इन जिलों में सिंचाई के लिये चालू की गयीं। राज्य के केन्द्रीय क्षेत्रों में शारदा नहर प्रणाली में १,५६९ मील लम्बी नालियां बनाई गयीं और इनका विस्तार किया गया इस क्षेत्र में १६ ट्यूववेल भी बनाये गये। पश्चिमी जिलो में भी ४४६ ट्यूववेल बनाये गये। इन सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों के फलस्वरूप सींचा जाने वाला क्षेत्र पिछले पांच वर्षों में लगभग १३ लाख एकड़ बढ़ गया। १९५१–५२ ई० में वास्तव में ७० लाख एकड़ के क्षेत्र में सिंचाई हुई, जबकि १९४६ ई० के पूर्व, ६० लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र की सिंचाई कभी नहीं हुई थी। चालू वर्ष में ललितपुर और सपार के बांधों और कबराई लेक प्राजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा हो जायगा। मातातिल अर्जुन, चन्द्रप्रभा और अहरौरा बांध बनाने का काम, जिसके पूरे हो जाने पर चार लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी, जल्द ही खत्म करने की दृष्टि से उसे जितनी ही तेजी से हो सकेगा किया जायगा। रेणवन बांध और वेलन नहर के निर्माण का कार्य भी जितनी तेजी से हो सकेगा किया जायगा। पहाड़ी जिलों में सिंचाई सम्बन्धी छोटे-छोटे निर्माण-कार्य जारी रक्खे जायेंगे। शारदा नहर प्रणाली से ४३१ मील लम्बी नालियों का निर्माण और विस्तार करने का कार्य समाप्त हो जायगा। ४४० ट्यूववेलों की योजना के अन्तर्गत ट्यूववेलों का निर्माण कार्य अधिक तेजी से किया जायगा।

हमने अपनी पांच वर्षीय योजना में पूर्वीय जिलों में १,००० ट्यूबवेलो का निर्माण सम्मिलित किया है जिन में से ४०० ट्यूब वेल गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के जिलों में ३००, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के जिलों में और ३०० फैजाबाद और सुलतानपुर के जिलो में बनाये जायेंगे इन तीन योजनाओं के अतिरिक्त जो बेसिक प्लान में सम्मिलित हैं, हम पूरब योजना के एक भाग के रूप में १,००० ट्यूबवेलों के निर्माण का एक कार्यक्रम तैयार करने का भी विचार कर रहे हैं, जिन में से ४०० ट्यूववेलों का निर्माण मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा के जिलों में किया जायगा। इन्डो यू० एस० टेक्निकल कोआपरेशन एग्रीमेंट के अधीन हाल में भारत सरकार ने ९९५ ट्यूबवेल बनाने की मंजूरी दी है। इनके निर्माण से हमारी बेसिक प्लान की तीन योजनाओं में से दो पूरी हो जायंगी और केन्द्रीय जिलों के लिये निर्धारित कार्यक्रम का एक बड़ा भाग भी पूरा हो जायगा। जहां तक बेसिक प्लान की तीसरी योजना का संबंध है यानी आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया ग्रुप के ट्यूववेल बनाने का सवाल है, राज्य सरकार का विचार इस क्षेत्र में भी १०० ट्यूबवेलों का निर्माण आरम्भ करने का है। फिलहाल पूर्वी जिलों में बड़े पैमाने पर परीक्षण कार्य किया जायगा। इससे यह लाभ भी होगा कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई के बड़े–बड़े निर्माण कार्य प्रारम्भ करना संभव नहीं है वहां के लिए सिंचाई के छोटे छोटे प्राजेक्ट तैयार किये जा सकेंगे। इस तरह के निर्माण कार्यों के लिये बजट में २० लाख रुपये की एक इकट्ठी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। ऐसा ही एक निर्माण-कार्य बानगंगा प्राजेक्ट जिसकी लागत २४ लाख रुपया होने का तखमीना है, हाथ में ले लिया गया है, शारदा नहर की शक्ति बढ़ाने के लिये जो कार्यवाहियां की जा रही हैं उनके फलस्वरूप चावल और देर से बोया जाने वाली खरीफ की फसलों के पहले से बड़े क्षेत्र सींचना मुमकिन हो जायगा। यह विचार किया गया है कि इन सुविधाओं का लाभ उठाया जाय और शारदा नहर से जायस ब्रांच एक्सटेन्शन (Jais Branch Extension) का निर्माण करके प्रतापगढ़ और सुलतानपुर के जिलों में भी सिंचाई संबंधी सुविधायें दी जायं। यह कार्य आरम्भ करने के लिये बजट में १० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। राज्य के पश्चिमी भाग में भी ७० ट्यूववेल गलाये जायेंगे, १९५२–५३ में पूरे होने वाले निर्माण कार्यों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि अगले कुछ महीनों के अन्दर ही सिंचाई के क्षेत्र में ३ लाख एकड़ की और वृद्धि हो जायगी। जैसा कि सदस्यों को मालूम है सरकार के पास पूरी तौर से तैयार एक प्राजेक्ट है जो रिहन्द डैम प्राजेक्ट कहलाता है और जो आवश्यक धनराशि प्राप्त होते ही कार्यान्वित किया जा सकता है। प्राजेक्ट राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भागों के विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्राजेक्ट की जांच अब भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है और उसने इसे

इंजीनियरी तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि कोणों से कार्यान्वित किये जा सकने योग्य घोषित किया है। सरकार का विचार इस प्राजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र से विशेष वित्तीय सहायता मांगने का है। फिलहाल निर्माण-संबंधी सभी प्रारम्भिक कार्यवाहियों को पूरा कर लेने के लिये बजट में १० लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गयी है।

सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त राज्य में गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत से दूसरे कार्य भी किये गये हैं। करीब ११ लाख एकड़ जंगल और ऊसर भूमि को खेती के योग्य बना दिया गया है। हजारों पक्के कुयें बनाये गये हैं। बहुत बड़े परिमाण में उन्नत बीज और फर्टीलाइजर बांटे गये हैं। खेती के यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है। खेती के औजारों और मशीनों की मरम्मत और निर्माण के लिये कारखाने (वर्कशाप) खोले गये हैं। एक पौधा संरक्षण सर्विस (Plant protection service) भी कायम की गयी है। दो कृषि स्कूल भी खोले गये हैं। दुधार और दूध न देने वाले मवेशियों की किस्म में सुधार करने के लिये, जिनका कृषि संबंधी उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, हमने मवेशियों की नस्लकशी के बहुत से फार्म और कई कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये हैं। मथुरा में पशु-चिकित्सा विज्ञान का एक डिग्री कालेज भी खोला गया है।

बिजली की शक्ति

४३—राज्य के उद्योगों को अधिक बिजली सप्लाई करने के लिये सरकार प्रतिवर्ष वर्तमान बिजलीघरों के प्रसार या नये बिजलीघरों के निर्माण पर काफी पूंजी व्यय करती रही है। मुहम्मदपुर का बिजलीघर जिसकी अधिष्ठापित शक्ति (Installed Capacity) ९, ३०० किलोवाट है, सोहावल बिजलीघर एक्सटेन्शन (२,००० किलोवाट) और गोरखपुर का पायलेट आयल इंजन पावर स्टेशन (२,२९० किलोवाट) अब करीब–करीब पूरे बन गये हैं। हरदोआगंज पावर स्टेशन (६,००० किलोवाट) के विस्तार करने का कार्य अब काफी आगे बढ़ाया जा चुका है। शारदा पावर हाउस (४१,४०० किलोवाट) और पथरी पावर हाउस (२०,४०० किलोवाट) का निर्माण कार्य हो रहा है। गंगा और शारदा ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ऊपर बताये गये निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अब दो नये स्टीम स्टेशन बनाने का काम हाथ में लेने का विचार किया गया है। इनमें से प्रत्येक स्टीम स्टेशन १०,००० किलोवाट का होगा और एक गोरखपुर में तथा दूसरा मऊ में बनाया जायगा। इनसे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर के जिलों को बिजली सप्लाई की जायगी। यह भी विचार किया गया है कि सोहावल बिजलीघर में ७,५०० किलोवाट की और बढ़ती की जाय। इन योजनाओं के लिये बजट वर्ष में २० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। पहाड़ी जिलों में भी छोटे हाइड्रो-टरबाइन्स (Hydro-Turbines) कायम करने के संबंध में जांच-पड़ताल की जा रही है और चालू वर्ष में इस यजना के लिये ४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। सरकार ने कानपुर के के० ई० एस० ए० पावर हाउस में १५,००० किलोवाट की बढ़ती करने के प्राजेक्ट को कार्यान्वित करने का काम भी हाथ में ले लिया है। चालू वर्ष में इस कार्य के लिये ८० लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

उद्योग-धंधे

४४—जहां तक हमारी औद्योगिक विकास की योजनाओं का संबंध है, सबसे पहले सीमेंट फैक्टरी योजना और प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी (Precision instrument factory) का जिक्र करना आवश्यक है। सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण-कार्य चल रहा है और इस प्रयोजन के लिये बजट में १.२५ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गयी है। फैक्टरी के भवन का एक बड़ा भाग बन कर तैयार हो गया है। २५ करोड़ रुपये लागत के जिसे स्थिर यंत्र (Plant) और मशीन को संयुक्त राष्ट्र से मंगाया गया था उसका दो तिहाई भाग मिल चुका है। फैक्टरी के स्थान से चुनार तक एक रेल सड़क बनाने के लिये भारत सरकार सहमत हो गयी है और कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। फ़ैक्टरी के बन जाने पर उससे प्रतिदिन ७०० टन सीमेंट का

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

उत्पादन होगा। लखनऊ की प्रसीजन इन्सट्रीमेंट फैक्ट्री अब १/२" के वाटर मीटर (Water meters) को तैयार कर रही है, जिनमें से कई सौ पहले ही बेचे जा चुके हैं। इस बात की आशा की जाती है कि चालू वर्ष में प्रति मास १००० मीटरों का उत्पादन होने लगेगा। फैक्ट्री का यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष में कुछ अणुवीक्षण यंत्र (Microscope) भी तैयार किये जायं।

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में घरेलू उद्योग-धंधों का कितना महत्व है इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य यह रहा है कि घरेलू उद्योग-धंधों के कार्यकर्त्ताओं को अधिक से अधिक अच्छी टेक्निकल तथा शिक्षा संबंधी सुविधायें देकर एवं कुशल क्रय-विक्रय संस्थाओं की व्यवस्था करके इन उद्योगों का विकास करें। उत्पादन की टेक्निक (Technique) में सुधार करने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये, हमने ऐसे प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों की एक योजना बनायी है जो उत्पादन के उन्नत तरीकों एवं उन्नत डिजाइन (Design) तथा फिनिश (Finish) के संबंध में शिक्षा देते हैं। ऐसे केन्द्रों की संख्या इस समय ११५ है। इन केन्द्रों को बहुत संतोषप्रद सफलता मिली है। और यह प्रस्ताव है कि चालू वर्ष में ऐसे केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर १५० कर दिया जाय। उन्नत किस्म के हाथ के बने हुये कपड़ों के उत्पादन के लिये भी उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। मऊ (आजमगढ़) में एक फिनिशिंग तथा डाइंग फैक्ट्री खोली गयी है। लखनऊ में एक फ्रूट प्रिजरवेशन तथा कैनिंग इन्स्टीट्यूट (Fruit preservation and Canning Institute) की भी स्थापना की गयी है। खादी के उत्पादन के संबंध में कताई के लिये २०,००० व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गयी है। दो व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं (Occupational Institutes) खोली गयी हैं, जिनमें से एक लखनऊ में है और दूसरी इलाहाबाद में। गाजीपुर में एक टेक्निकल स्कूल भी खोला गया है। पहाड़ी जिलों में पोलीटेक्निक (polytechnics) की अनेक छोटी छोटी शिक्षा संस्थायें खोली गयी हैं। एक ऐसी योजना प्रारम्भ की गयी है जिससे घरेलू उद्योग धंधों की बनी चीजों की किस्म को नियमित किया जा सके। चालू वर्ष में उत्पादन पर कम से कम उतना ही जोर देने का विचार है जितना कि ट्रेनिंग तथा प्रदर्शन पर। तदनुसार हाथ से बने हुये कपड़े के उत्पादन के लिये चार नये केन्द्र तथा ऊनी कपड़े के उत्पादन के लिये ३ नये केन्द्र ३॥ लाख रु० की लागत पर खोले जायेंगे। चालू वर्ष में चमड़ा कमाने का एक केन्द्र, मिट्टी के बर्तन बनाने का एक केन्द्र फलों तथा तरकारियों से रस निकाल कर उनको डिब्बों में बन्द करने का एक केन्द्र तथा शीशे के मोती दाने बनाने की शिक्षा देने के लिये चार नये केन्द्र भी खोले जायेंगे। मेरठ, देहरादून और जौनपुर में पोलीटेक्निक (polytechnics) की तीन नयी संस्थायें खोली जायेंगी।

सड़कें

४५—१९४६ ई० में, जब कि केन्द्रीय सरकार से एक बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होने की आशा थी, सरकार ने राज्य में सड़कों के सुधार तथा विस्तार के लिये एक बृहत् कार्यक्रम बनाया। किन्तु केन्द्रीय सरकार के उस आर्थिक सहायता के वापस ले लेने से यह कार्यक्रम पूरा न किया जा सका। फिर भी सड़कों के निर्माण-कार्य का एक बहुत बड़ा भाग पूरा हो चुका है। लगभग ३,२०० मील स्थानीय सड़कों (local Roads) को फिर से बनाया गया है। लगभग १,९०० मील नयी सड़कें या तो बनायी जा चुकी हैं या बन कर तैयार हो रही हैं। ४,५०० मील कच्ची सड़कें बनायी गयी हैं। सीमेंट और कंकड़ की कुछ पगडंडियां भी बनायी गयी हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के चालू वर्ष के बजट में, विशेष कर अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये, २०४ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। शक्कर के कारखानों के क्षेत्रों में ट्रामवे बनाने के लिये शक्कर मिलों को अग्रिम-ऋण देने के संबंध में ऋणों के बजट में ६ लाख रुपये की दूसरी व्यवस्था की गयी है।

सड़क परिवहन

४६—जनता को सस्ती तथा अच्छी परिवहन संबंधी सुविधायें देने के उद्देश्य से जिस सड़क परिवहन संगठन की स्थापना हमने की थी उसका सुदृढ़ आधार पर विस्तार हो गया है।

इसमें लगाई गई कुल पूंजी अब ३ १/४ करोड़ रुपये है। संगठन के पास १,३३५ बसें, ४९६ट्रक, और ५१ टैक्सियां हैं। ये ४६० मील से अधिक पक्की सड़कों पर चलती ह। और २४२ विभिन्न भागों पर प्रति वर्ष लगभग ४ करोड़ मुसाफिरों को ले जाती है। कुछ बड़े नगरों में नगर बस योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं और वे बहुत ही जन प्रिय हुई हैं। संगठन के पास अब पर्याप्त संख्या में रीजनल हेडक्वार्टरों में पूरी तरह सुसज्जित कारखाने और कानपुर में एक बड़ा केन्द्रीय कारखाना है। इससे मुसाफिरों को विशेष सुविधायें मिलती है, जैसे छपे टाइम टेबुल, मुसाफिर-खाने, पीने के पानी की सुविधायें, उपाहार की दुकानें और पोर्टरों की सेवायें इत्यादि, जो सड़क से सफर करने वाली जनता को पहले नहीं मिलती थीं। चालू वर्ष में इस संगठन का किसी भी हद तक विस्तार करने का हमारा विचार नहीं है। किन्तु एक ही मार्ग से होकर जाने वाले अन्य मार्गों पर बसें चलाने, केन्द्रीय कारखाने के कार्यकर्त्ताओं के लिये रहने के मकानों के निर्माण और जन उपयोग के रूप में संगठन की क्षमता में वृद्धि के करने के उद्देश्य से अन्दरूनी कार्यों में विभिन्न सुधार करने पर कुछ नया व्यय किया जायगा।

नियोजन तथा एकीकरण

४७—अब तक जो मैं कहता आया हूं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के हाथ में विकास संबंधी बहुत से निर्माण कार्य है, जिनमें अधिक व्यय करना पड़ेगा। यह आवश्यक है कि इस निर्माण कार्य को चालू करने में एकीकरण तथा नियोजन में सावधानी बर्ती जाय। इस प्रयोजन के लिये १९४७ ई० में डेवलपमेंट कमिश्नर के अधीन एक एजेंसी बनाई गयी थी। इस संगठन को अनुभव के आधार पर और परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बाद में कुछ बदलना पड़ा और सरकार के हेडक्वार्टर पर एक राज्य नियोजन मंडल की स्थापना की गयी, जिसमें चुने हुये गैर सरकारी व्यक्ति और सचिवालय के पदाधिकारी सम्मिलित थे। जिला स्तर पर जिला नियोजन समितियां बनायी गयीं। पूरे समय के लिये जिला नियोजन पदाधिकारियों की व्यवस्था की गयी और जिलों में निर्माण-कार्यों में लगे हुये सभी कर्मचारि-वर्ग, बिना इस बात का विचार किये हुये कि वे किस विभाग से सम्बद्ध हैं, एक साथ मिला लिये गये और उन्हें जिला नियोजन पदाधिकारियों के अधीन रख दिया गया। यह विकास सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करने में एकीकरण करने और उनके निष्पादन में क्षमता और मितव्ययता लाने के विचार से किया गया था। जो संगठन अब बनाया गया है वह विकास सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करने में अपनी पूरी शक्ति लगा सकेगा, क्योंकि उसे दैनिक जिला प्रशासन का भार नहीं वहन करना पड़ेगा।

इटावा की पाइलेट विकास योजना के सम्बन्ध में मैं यहां कुछ शब्द कहूंगा। इस योजना का उद्देश्य यह था कि कुछ चुने हुये गांव के रहने वाले अपने को इस योजना के इंचार्ज कर्मचारियों के कुशल पथ-प्रदर्शन में रख लें और उनके निदेश में वे अपने गांवों के उत्थान के लिये ग्राम-सुधार संबंधी कार्य करें। प्रमुख रूप से यह बात पदाधिकारियों पर निर्भर करती है कि वे गांव वालों का विश्वास प्राप्त करें और अच्छी सलाह स्वीकार करने के लिये उनको तैयार करें। यह योजना असाधारण रूप से सफल हुई है और चुने हुये गांवों की आर्थिक दशा में चारों तरफ से सुधार हुआ है। इसी प्रकार की योजनायें इस समय राज्य के कतिपय पूर्वी जिलों में चलायी जा रही हैं और इस बात की आशा की जाती है कि उन्हें भी ऐसी ही सफलता मिलेगी। सदस्यों को मालूम है कि इस वर्ष के प्रारम्भ में भारत सरकार एवं संयुक्त राज्य सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार देश भर में इसी प्रकार की सामुदायिक योजनायें प्रारम्भ की जाने वाली हैं। इस राज्य में इस प्रकार की ६ सामुदायिक योजनायें प्रारम्भ की जायंगी। ये सामुदायिक योजनायें राज्य के विभिन्न रीजनों में स्थापित की जा रही हैं। जिनमें से तीन पश्चिमी जिलों में जहां ट्यूबवेल के नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं, एक पश्चिमी रीजन के बीच में, जहां ट्यूबवेल के प्रस्तावित नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे, एक झांसी में और एक कुमायूं के जिलों में स्थापित होगी। इन योजनाओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत, सामुदायिक जीवन के सभी विभिन्न पहलू होंगे

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

जिनमें कृषि और घरेलू उद्योग-धन्धों, यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के सुधार शामिल होंगे । प्रत्येक योजना के लिये विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं और इस बात की आशा की जाती है कि आगामी रबी की फसल शुरू होने से पहिले इन योजनाओं के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में कार्य आरम्भ कर दिया जायगा । इन योजनाओं के लिये अनुपूरक तखमीनों द्वारा आवश्यक धन की व्यवस्था कर दी जायगी ।

विलीन रियासतें तथा अन्तःक्षेत्र

४८—इस तथ्यसंबंधी आलोचना को समाप्त करने के पहिले मैं संक्षेप में एक अन्य विषय पर कुछ कहना चाहूंगा । बनारस, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल की भूतपूर्व रियासतें और कुछ छोटे अन्तःक्षेत्र, जो पहिले विन्ध्य प्रदेश के अधीन थे , अगस्त १९४९ और जनवरी, १९५० के बीच हमारे राज्य में विलीन हो गये । इस विलीनीकरण से हमारे राज्य का क्षेत्र लगभग ७,००० वर्गमील और आबादी १५ लाख बढ़ गयी । विलीनीकरण के समय विलीनीकृत क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर स्वभावतः नीचा था, परन्तु इस स्तर को उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों के स्तर तक उठाने के लिये हमने आवश्यक कार्यवाहियां कीं । इसलिये ऐसा मालूम होता है कि ये रियासतें तथा अन्तःक्षेत्र कम से कम आगामी कुछ वर्षों तक हमारे लिये एक आर्थिक उत्तरदायित्व का कारण बने रहेंगे । विलीनीकरण के समय हमारे सामने एक समस्या यह आयी कि इन क्षेत्रों के भूतपूर्व प्रशासनों के अनेक और अधिकतर अयोग्य कर्मचारियों के संबंध में क्या किया जाय । ऐसे व्यक्ति जो राज्य सेवा के उपयुक्त थे, हमारी सेवाओं में ले लिये गये जो बाक़ी बचे उनको उदार पेन्शन या अनुग्रह धन दे कर सेवा से मुक्त कर दिया गया । उनके दावों के शीघ्र निपटारे के लिये एक विशेष वित्तीय और लेखा परीक्षा संगठन की स्थापना की गयी ।

४९—जितना समय मुझे मिला है उसमें मेरे लिए यह संभव नहीं हुआ है कि पांच वर्षों में होने वाली सभी सरकारी कार्यवाहियों का पूर्ण विवरण की तरह का कोई ब्योरा दे सकूं । परन्तु संक्षेप में मैंने जो अभी कहा है उससे सदस्यों को यह तो मालूम हो ही गया होगा कि उस अवधि में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुये भी हमें कितनी सफलता मिली है । किन्तु ऐसा कहने के पहिले कि राज्य की सम्पन्नता के लिये आवश्यक हालतों को पैदा कर दिया गया है, हमें अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है । हम इस बात का दावा तभी कर सकेंगे जब महत्वपूर्ण योजनायें, जो हमारे हाथ में हैं पूरी हो जायं, जैसे रिहन्द बांध योजना, २,००० ट्यूबवेल योजना, जो विचाराधीन है, सिंचाई के विभिन्न बड़े निर्माण-कार्य, बिजली घरों वगैरह की योजनाएं और सड़क के हमारे मूल कार्यक्रम का प्रथम भाग पूरा हो जाय, शिक्षा की सुविधाएं, विशेषकर टेक्निकल तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधायें बहुत ज्यादा बढ़ जायं, अब तक जितनी संभव हो सकी हैं उससे कहीं अधिक चिकित्सा संबंधी सुविधायें मिल जायं और आजकल की मकानों की कमी दूर हो जाय । इस लक्ष्य को अगले तीन या चार वर्षों के भीतर प्राप्त करने के लिये विकास के कार्यक्रम का जितना कम से कम भाग हमें पूरा करना आवश्यक है वह राज्य की पंच-वर्षीय योजना में निर्धारित कर दिया गया है । इसमें राजस्व की रूप बहुत बड़ी धनराशियां लगानी पड़ेंगी और बहुत बड़ी पूंजी व्यय करनी पड़ेगी । किन्तु लोगों की भलाई के लिये यह आवश्यक है कि ऐसा व्यय किया जाय और इस योजना की प्रगति में किसी भी क़ीमत को बाधा नहीं डाल देना चाहिये । इस काम के लिये हमारे यदि वर्तमान साधन पर्याप्त नहीं हैं तो हमें अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करनी चाहिये चाहे वह करों के रूप में हों या ऋणों के या धन या श्रम के रूप में ऐच्छिक अंशदान हों ।

आवश्यक निधियों का मुख्य अंश तो नये करों से ही प्राप्त होगा । इन नये करों के स्वरूप नियत करने में हम यह कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके प्लानिंग कमीशन द्वारा अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिये हुये तरीक़ों के ही अनुसार हम काम करें और हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि जहां तक मुमकिन हो इस राज्य का हर एक नागरिक अपनी

परिस्थिति और सामर्थ्य के अनुसार भार वहन करे । यह उचित और न्यायपूण ही है कि प्रत्येक नागरिक राज्य की उन्नति के लिये अपना अंशदान दे किन्तु वे व्यक्ति जिनको राज्य द्वारा इस समय तक पूरे किये गये विकास कार्यों से आर्थिक लाभ हुआ है उन्हें तो कुछ अतिरिक्त अंशदान करना चाहिये जिससे कि वे क्षेत्र जो अभी तक नहीं विकसित हो सके हैं लाभ उठा सकें । इसलिये सरकार का यह विचार है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिये एक विकास कर, डेवेलप्मेंट लेवी (Development levy) लगाने के लिये आवश्यक विधान प्रस्तुत करने का विचार कर रही है । बिना सिंचाई वाली जमीनों और म्युनिसिपल क्षेत्र के मकानों पर काफी कम दर वाला एक विकास कर लगाया जायगा । इन करों द्वारा प्राप्त आय एक निधि में संक्रामित कर दी जायगी जिसके द्वारा मुख्यत: सिंचाई, जल-विद्युत, नागरिक गृह निर्माण योजनाओं पर जो पंच-वर्षीय योजना का एक अंग है पूंजी व्यय करने में लगाया जायगा । यह विकास कर केवल चालू वित्तीय वर्ष में तथा आगामी वित्तीय वर्ष में लगेंगे । ये कर उन क्षेत्रों में नहीं लगाये जायेंगे जहां कि दुर्भिक्ष है । उन क्षेत्रों में जहां कि बाद में सिंचाई की सुविधायें प्रदान की जायंगी एक सुधार कर (Betterment levy) लगाया जायगा । इन करों के अतिरिक्त हम स्टाम्प ऐन्ड रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट और सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट के अन्तर्गत मौजूदा दरों को बढ़ाना चाहते हैं । बिक्री कर अधिनियम तथा बिजली की दरों से आय बढ़ाने के लिये भी कार्यवाही की जायगी । सरकारी परिवहन संगठन में प्रयोग में आने वाले पेट्रोल, टायर, खुदरा पुर्जों इत्यादि की बढ़ी हुई दरों के कारण परिवहन की दरों में भी छोटी-मोटी वृद्धियां की जायेंगी । इन वित्तीय साधनों को जुटाने में हमें जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी । जहां तक हमारा संबंध है हम इस बात के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे कि कोई भी बात इस निर्माण–कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने में रुकावट न डाले; और देश की भलाई के लिये हम हृदय से आशा करेंगे कि हमारे प्रयत्न सफल हों ।

यदि मैं इस अवसर पर वित्त सचिव श्री बी० जी० राऊ को जो हमेशा बहुत ही सावधान रहे हैं और जिन्होंने बड़ी ही योग्यता और बुद्धिमानी से राज्य के वित्तीय कार्यों का प्रबंध किया है, धन्यवाद देना भूल जाऊं तो यह एक चूक होगी । उन्होंने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को दृढ़ता से बनाये रखने में बड़ा परिश्रम किया है । आपने इस राज्य के वित्त सचिव के पद पर जिस कठिन परिश्रम से कार्य किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं श्री भरत नारायण डिप्टी सेक्रेटरी , श्री के० एस० गोयल और श्री एन० सी० रे, जो अन्डर सेक्रेटरी हैं, और विशेष कर श्री केशव दास को जो कि वित्त विभाग में बजट सेक्शन के इन्चार्ज अन्डर सेक्रेटरी हैं; को बजट तैयार करने में उनके द्वारा किये गये बहुत अच्छे काम के लिये धन्यवाद देता हूं । मैं वित्त विभाग तथा अनुवाद विभाग के और गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद और लखनऊ के कर्मचारियों को बजट साहित्य को समय के भीतर तैयार करने में उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं ।

(इस के बाद सदन २ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ४ बजे सायंकाल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
७ जुलाई, १९५२ ।

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये ७ जुलाई, १९५२, के तारांकित प्रश्न ३ व ४ का उत्तर पीछे ६ पृष्ठ पर)

बस्ती जिले में राजनीतिक पीड़ितों, जिनको रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर, गोरखपुर ने परमिट कैरियर के परमिट दिये गये हैं, उनके नामों की सूची

क्रम संख्या	राजनीतिक पीड़ितों का नाम व पता	गाड़ियों की रजिस्ट्री संख्या
१—(अ)	श्री वासुदेव गुप्ता पिता का नाम श्री भिखारी गुप्ता पता—हवौली डा० रुद्रनगर, बस्ती ।	यू० एस० बी० ८८६
(ब)	श्री महादेव सिंह, पिता का नाम श्री अपरबल सिंह पता—नगरा, डा० आसनहरा, बस्ती ।	
(स)	श्री हरिवंश पांडे, पिता का नाम श्री बद्री पांडे, पता—भीटवा डा० रूपनगर, बस्ती ।	
(द)	श्री शंकराज मिश्र, पिता का नाम श्री पटेश्वरी मिश्र पता—रक्षा, डा० मेहदावल, बस्ती ।	
(इ)	श्री अल्लाभेज, पिता श्री बुद्धू, पता—भिटिया, डा०रूपनगर, बस्ती ।	
२—(अ)	श्री राजा राम शर्मा, पिता श्री हर्ष तिवारी, पता—भुजैनी, डा० मीरगंज, बस्ती ।	यू० एस० बी० १४१६
(ब)	श्री इन्द्रजीत मिश्र, पिता श्री जैनाथ मिश्र, पता—फतेहपुर, डा० छितौही, बस्ती ।	
(स)	श्री मातबदल चौबे, पिता श्री सीता राम चौबे, पता—बुद्ध कला, डा० मुंडेरवा, बस्ती ।	
(द)	श्री दयाराम कुरमी, पिता श्री अबदानी कुरमी, पता—चाई खुर्द, डा० मुंडेरवा, बस्ती ।	
(इ)	श्री बद्री प्रसाद मिश्र, पिता श्री गोसांई मिश्र, पता—इहदा मिसिर, डा० जगदीशपुर, बस्ती ।	
३—(अ)	श्री राम अचल लाल, पिता श्री सूर्यबली, पता—रामनगर डा० असनहरा, बस्ती ।	यू० पी० आर० ६३३५
(ब)	श्री कलपू, पिता श्री वसानु, पता—कलवारी, डा० कलवारी, बस्ती ।	
(स)	श्री रामदेव, पिता श्री महावीर, ग्राम एवं डाकघर गायघाट, बस्ती ।	
(द)	श्री विश्वनाथ, पिता श्री सुजान, ग्राम एवं डाकघर गायघाट, बस्ती ।	
(इ)	श्री सीताशरण, पिता श्री कामता, ग्राम एवं डाकघर गायघाट, बस्ती ।	

क्रम संख्या	राजनीतिक पीड़ितों का नाम पता	गाड़ियों की रजिस्ट्री संख्या
४—	(अ) श्री जटाशंकर राय, पिता श्री नागेश्वर राय, पता—इशहरा, डा० खलीलाबाद, बस्ती ।	यू० पी० के० ३२१
	(ब) श्री गोपी भगत, पिता श्री बन्धु, पता—मगहर, बस्ती।	
	(स) श्री मरेहो, पिता श्री हरिचरण, पता—झुनसल, डा० खलीलाबाद , बस्ती ।	
	(द) श्री मुनेश्वर, पिता श्री गुप्तार, पता—खलीलाबाद, बस्ती।	
	(इ) श्री बासुदेव, पिता श्री हुनरो, पता—खलीलाबाद, बस्ती।	
५—	(अ) श्री श्यामचरण हरिजन, पिता श्री शिवशंकर हरिजन पता—भैराडीह, डा० पथरौना, बस्ती।	यू० पी० आर० ६१२३
	(ब) श्रीमती श्यामा देवी शर्मा, पति श्री राम उजागर शर्मा, पता—गांधी नगर, बस्ती ।	
	(स) श्री रामू उपाध्याय, पिता श्री राम सनेही, पता—गांधी नगर, बस्ती।	
	(द) श्री तुलसी राम, पिता श्री कंघई चायी, पता—सिलवतिया, डा० भानपुर , बस्ती।	
	(इ) श्री ब्रजमोहन चाई, पिता श्री कंघई चाई, पता—दिपरहिया, डा० असनहरा, बस्ती ।	
६—	(अ) श्री राजदेव सिंह, पिता श्री भवानी भीख पता—खुशहाल गंज छावनी, बस्ती ।	यू० पी० के० ३३६
	(ब) श्री हरिहर प्रसाद, पिता श्री छोटन लाल, पता—जगदीशपुर, बस्ती।	
	(स) श्री विश्वनाथ शर्मा, पिता श्री श्रीराम, पता—सेमरा, बस्ती।	
	(द) श्री मोहन मुराव, पिता श्री सोहन, पता—गायघाट, बस्ती ।	
	(इ) श्री जोसन राम, पिता श्री कौलेश्वर तेसहा बाजार, बस्ती ।	
	(ई) श्री रामदेव, पिता श्री महावीर, पता—तिरैयापुर, डा०हरिहर पुर, बस्ती ।	

क्रम संख्या	राजनीतिक पोड़ितों का नाम व पता	गाड़ियों की रजिस्ट्री संख्या
७.—(अ)	प्रशर्की लाल, पिता श्री गौरीलाल पता—वेलबयबटिकार, पंचमुखी कार्यालय, बस्ती ।	यू० पी० सी० १९३०
(ब)	श्री महदेव राम, पिता श्री गजाधर राम, ग्राम एवं डा० मेहदावल, बस्ती ।	
(स)	श्री हरगाही लाल यादव, पिता श्री हरलाल यादव, पता—गिगना, डा० पुरी बाजार, बस्ती ।	
(द)	श्री जमुना, पिता श्री बिहारी उपाध्याय, पता—वेलवारी डा० वाल्टर गंज, बस्ती ।	
(इ)	श्री शंकर पांडे, पिता श्री संतु पान्डे, पता—वेलहना, डा० जगदीशपुर, बस्ती ।	
८.—(अ)	श्री रामउजागर शर्मा, पिता श्री देवनाथ, पता—गांधीनगर बस्ती ।	यु० एस० ए० ३९४
(ब)	श्री सूर्य भगत, पिता श्री रामदेहल, पता—फुलवड़िया डा० नागर, बस्ती ।	
(स)	श्री श्रीकांत मिश्रा, पिता श्री संत मिश्रा, पता—गहवनियां, डा० सोनहा, बस्ती ।	
(द)	श्री रामप्यारे, पिता श्री सोहरत पांडे, पता—रामनगर डा० असनहरा, बस्ती ।	
(इ)	श्री रामफेर शुक्ला, पिता श्री हरिनन्दन, पता—दरौंडिहा, डा० कलवारो, बस्ती ।	
९.—(अ)	श्री रामकिशोर शुक्ल पिता श्री देवी प्रसाद शुक्ल पता—ठाकुरपुर, डा० परसरामपुर बस्ती ।	यू० पी० एम० १९९२
(ब)	श्री ध्यानदास, पिता श्री देव काली साहू, पता—दरोगा गंज डा० परसरामपुर, बस्ती ।	
(स)	श्री हुबीब अहमद खान, पिता श्री मुहम्मद हुसैन खान पता—धरमपुर, डा० परसरामपुर, बस्ती ।	
(द)	श्री लगानारायण, पिता श्री पीलायं मिश्रा, पता—गुदुनपुर, डा० परसरामपुर, बस्ती ।	
(इ)	श्री देवता प्रसाद, पिता श्री शुकदेव पांडे, पता—सलेमपुर पांडे, डा० परसरामपुर, बस्ती ।	
१०.—(अ)	श्री मथुरा प्रसाद पांडेय, पिता श्री श्लोक पांडे, पता—ततेरी बाजार, डा० उसका बाजार, बस्ती ।	यू० पी० के० २५१
(ब)	श्री रामसमुझ तिवारी, पिता श्री महात्मा तिवारी, पता—ततेरी खुर्द, डा० उसका बाजार, बस्ती ।	
(स)	श्री जीवत राम, पिता श्री गुप्तार राम, पता—रेहराबाजार, डा० उसका बाजार, बस्ती ।	

क्रम संख्या	राजनीतिक पीड़ितों का नाम पता	गाड़ियों की रजिस्ट्री संख्या
	(द) श्री रामवरण यादव, पिता श्री कलपु यादव, पता—जूरीकुइयां, डा० उदयराज गंज, बस्ती ।	
	(इ) श्री चन्द्रमनी यादव, पिता श्री विक्रम, पता—सजनी डा० ततेरी बाजार, बस्ती ।	
११—(अ)	श्री लालबिहारी ओझा, पिता श्री तमेश्वर ओझा, पता—रामपुर, डा० शिवपत नगर, बस्ती ।	यू० पी० के० २९०
	(ब) श्री बुझावन राम, पिता श्री गिसियावन राम, पता—गोरा बाजार, डा० बर्डपुर, बस्ती ।	
	(स) श्री महादेव शुक्ला, पिता श्री बैजनाथ शुक्ला, पता—चौरासी, डा० तेतरी बाजार, बस्ती ।	
	(द) श्री रामनाथ गुप्ता, पिता श्री हीरा राम, पता—सोनौरा, डा० तेतरी बाजार, बस्ती ।	
	(इ) श्री रसीद मुहम्मद पिता श्री बरसाती, पता—सजनी, डा० तेतरी बाजार, बस्ती ।	
१२—श्री	कोदाय मिश्रा, पिता, श्री राम प्यारे, पता—प्रग्या, डा० सोहरतगढ़, बस्ती ।	यू० एस० बी० १०४२
	(ब) श्री मुहम्मद इसमाइल, पिता, श्री नूरमुहम्मद, ग्राम एवं डा० सोहरतगढ़, बस्ती ।	
	(स) श्री सोमी राम, पिता श्री गुप्तार राम, पता—महादेवा,डा० तेतरी बाजार, बस्ती ।	
	(द) श्री सुखदेव राम, पिता श्री कल्पू, पता—छतहनी, डा० सोहरतगढ़, बस्ती ।	
	(इ) श्री ब्रजमोहन तिवारी, पिता श्री ओंकार तिवारी, पता—बड़गांव, डा० तेतरी बाजार, बस्ती ।	
१३—(अ)	श्री ब्रह्मदेव पांडे, पिता श्री सुखपाल पांडे, पता—चकदही, डा० खलीलाबाद, बस्ती ।	यू० पी० के० २२२
	(ब) श्री जमना पांडे, पिता श्री रामअछेवर पांडे, पता—चकदही, डा० खलीलाबाद, बस्ती ।	
	(स) श्री राम प्रसाद पाठक, पिता श्री हंसराज पाठक, पता—हरपुर भंडारी, डा०बरिवारा, बस्ती ।	
	(द) श्री परमेश्वर, पिता श्री बुद्धू, पता—खरिना, डा० वरिबरा, बस्ती ।	
	(इ) श्री रामलखन, पिता श्रीमरेहाय, पता—भिनसेल, डा० खलीलाबाद, बस्ती ।	
१४—(अ)	धरम राज चौधरी, पिता श्री गुरुचरण, पता—पठानपुर , डा० कलवारी, बस्ती ।	यू० पी० के० २३४
	(ब) श्री पतंय पाठक, पिता श्री ठाकुर प्रसाद, पता—खमरिया, डा० कलवारी, बस्ती ।	

क्रम संख्या	राजनीतिक पीड़ितों का नाम व पता	गाड़ियों की रजिस्ट्री संख्या
	(स) श्री भवन, पिता गोकल, पता—तिलासी, डा० कलवारी, बस्ती ।	
	(द) श्री रामप्रसाद, पिता श्री रामहल, पता—रामकोट, डा० कलवारी, बस्ती ।	
	(इ) श्री गुलरण, पिता श्री मंगरु, पता—रामकोट, डा० कलवारी, बस्ती ।	
१५—(अ)	श्री धर्महरि दत्त, पिता श्री प्रभुनाथ, पता—बहेरिया, डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	यू० एस० बी० १४०७
	(ब) श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा, श्री धनेशराम, पता—बहेरिया डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	
	(स) श्री शिवकन तिवारी, पिता श्री त्रिवेणी तिवारी, पता—बालेहरा, डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	
	(द) श्री शंकर सिंह, पिता श्री दान सिंह, पता—बालेहरा, डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	
	(इ) श्री शिकारी सिंह, पिता श्री शिवचरण सिंह, पता—भरौली, डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	
१६—(अ)	श्री रघुराज मिश्रा, पिता श्री विश्वनाथ मिश्रा, पता—बहेरिया, डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	यू० एस० बी० १४१४
	(ब) श्री बोधदत्त सिंह, पिता श्री छोटे सिंह, पता—बेलहरा डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	
	(स) श्री रामबहादुर सिंह, पिता श्री हरिद्वार सिंह, पता—बेलहरा, डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	
	(द) श्री राम प्रसाद सिंह, पिता श्री भदेश्वर सिंह, पता—बेलहरा, डा० वाल्टरगंज , बस्ती ।	
	(इ) श्री रामधरव सिंह, पिता श्री हजारी सिंह, पता—बेलहार, डा० वाल्टरगंज, बस्ती ।	
१७—(अ)	श्री धनुधारी पांडे, पिता श्री घनश्याम पांडे, पता—धकदाही, डा० खलीलाबाद, बस्ती ।	यू० पी० सी० २३८
	(ब) श्री सत्यनारायण, पिता श्री बद्री, पता—चिलौना, डा० खलीलाबाद बस्ती ।	
	(स) श्री रामानन्द, पिता घुसहू, पता—चिलौना, डा० खलीलाबाद, बस्ती ।	
	(द) श्री सुखराम, पिता श्री जीत, पता—नौबगो, डा० मेहदावल, बस्ती ।	
	(इ) श्री गोकुल, पिता श्री धौल, पता—कलवारी, डा० कलवारी, बस्ती ।	

क्रम संख्या	राजनीतिक पीड़ितों का नाम व पता	गाड़ियों की रजिस्ट्री संख्या
१८--(अ)	श्री श्यामलाल, पिता श्री पटेश्वरी, पता--गांधीनगर, बस्ती ।	यू० पी० के० ३१७
(ब)	श्री केदारनाथ, पिता श्री भगवानदीन, पता--जाम डीह, बस्ती ।	
(स)	श्री रामपतक, पिता श्री गोकुल, पता--पिपिर गौतम, बस्ती ।	
(द)	श्री छेहरा, पिता श्री घुनहू, पता--लतेरा डा० गामा बाजार, बस्ती ।	
(इ)	श्री शिव वरण, पिता श्री मथुरा, पता--धुमरा, डा० कलवारी, बस्ती ।	
१९--(अ)	श्री भगवती प्रसाद, पिता श्री रामरुच पता--चनारी, जिला बस्ती ।	यू० पी० के० ३१६
(ब)	श्री कमल सिंह, पिता श्री रामदेव सिंह, पता--पिपरा गौतम, बस्ती ।	
(स)	श्री लक्ष्मी सिंह, पिता श्री बिहारी सिंह, पता--बहलो, डा० पिपरा गौतम, बस्ती ।	
(द)	श्री खेड़लाय, पिता श्री लक्ष्मण, पता--बेलवा गोसांय, बस्ती ।	
(इ)	श्री रामसुभग, पिता श्री मूसा, पता--पिपरा, डा० गौतम, बस्ती ।	

नत्थी "ख"

(देखिये ७ जुलाई, १९५२, के तारांकित प्रश्न सं० १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

(१) मई १९५१ ई० में प्रारम्भ की गई ए०पी० संकट कालीन खाद्यान्न व्यवस्था योजना के अन्तर्गत संकट-ग्रस्त क्षेत्र में ३७८ ए० पी० दूकानों के द्वारा अब तक लगभग ४,१२,६०० मन अनाज वितरित किया गया है।

(२) खरीफ १३५९ फसली के लगान में ९,९४,००० रु० की एवं मालगुजारी में ३,३३,००० रु० की छूट दी गई थी। रबी फसल के लिये छूट देने का प्रारंभिक प्रस्ताव जिलाधीश बस्ती से प्राप्त हो चुका है, अंतिम प्रस्ताव की प्रतिक्षा की जा रही है। प्रारंभिक प्रस्ताव से अनुमान है कि मालगुजारी में ४ लाख रुपये की छूट दी जायगी। लगान में छूट इसी अनुपात से होगी। जितनी छूट देने का प्रारंभिक प्रस्ताव है, उसकी वसूली स्थगित है। उसके प्रतिरिक्त सूबे के सभी क्षेत्रों में खरीफ के बीजों की वसूली अगले साल के लिये स्थगित कर दी गई है।

(३) गत वित्तीय वर्ष में १३,६८,००० रु० की तकावी वितरित की गयी थी, और चालू वर्ष के प्रथम तीन महीनों अप्रैल, मई तथा जून में बांटी गई तकावी की मात्रा ८,१०,००० रु० है। जिन क्षेत्रों में खरीफ के लगान की वसूली स्थगित कर दी गयी थी या छूट दी गयी थी उन क्षेत्रों में पिछली तकावी की वसूली भी स्थगित कर दी गयी थी।

(४) भूमि हीन श्रमिकों, छोटे कृषकों तथा अन्य निर्धन व्यक्तियों को जीविकोपार्जन हेतु काम देने के उद्देश्य से जिले के सूबे के क्षेत्र में टेस्ट वर्कस् तथा रिलीफ वर्क्स खोले गये हैं, और इस काम के लिये अब तक करीब-करीब १२ लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(५) निराश्रित बच्चों, वृद्धों, तथा रुग्ण व्यक्तियों की अहेतुक सहायता के लिये अब तक ५१,००० रु० जिलाधीश बस्ती को वितरण के लिये दिया गया है।

(६) राज्य सरकार ने २४ लाख रुपये के अनुमानित व्यय की बानगंगा नहर योजना को स्वीकृत कर लिया है, और उस पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। अनुमान है कि इस योजना के कार्यान्वित होने पर कुल ९०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी, जिसमें से २२,००० एकड़ भूमि बस्ती जिले की होगी।

(७) बस्ती जिले के तथा पड़ोस के अन्य जिलों के अनावृष्टि पीड़ित क्षेत्रों में जलाशयों तथा सिंचाई की जल-प्रणालियों के निर्माण की संभावनाओं की जांच के लिये खाद्योत्पादन विभाग के इंजीनियरों द्वारा सर्वे किया जा रहा है।

(८) बस्ती, देवरिया तथा गोरखपुर के जिलों में १०० नलकूपों के निर्माण की एक अल्पकालीन योजना प्रारम्भ की गयी है, उनमें बस्ती के हिस्से में ४९ नल कूप पड़ते हैं, यह योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पंद्रह वर्षीय योजना के प्रथम पांच वर्षों में पूर्वी जिलों में लगभग ५,००० नल कूपों का निर्माण होगा, इनमें से १५० नल कूप बस्ती जिले में होंगे।

(९) सन् १९५२-५३ में १,००० पक्के कुओं (masonry wells) को तैयार करने की योजना है। इन कुओं का निर्माण व्यक्तिगत किसान करेंगे, जिनको सरकारी सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के अन्तर्गत १९५१-५२ में लक्ष्य था ३०० कूपों का निर्माण, जिनमें से वर्ष के अन्त तक १३१ बन पाये थे और १०९ की बनवाई जारी थी। इस अल्पकालीन योजना के प्रारम्भ काल से अप्रैल १९५२ तक पूरे किये कुल कूपों की संख्या ४५१ है।

(१०) जीर्ण कूपों के पुनरुद्धार के लिये किसानों को निर्माण-सामग्री तकावी के रुप में दी जाती है। १९५१-५२ में लक्ष्य था ५०० जीर्ण कूपों का पूनरुद्धार, जिनमें से ११९ का कार्य पूरा किया जा सका।

(११) बड़ी-बड़ी नदियों और झीलों में उपयुक्त स्थानों पर विभागीय पंपिंग सेट्स भी लगाये गये हैं जो किसानों को दो रुपया आठ आना प्रति घंटे पर सिंचाई के लिये दिये जाते हैं। यों सिंचाई की निर्धारित दर ४ रु० प्रति घंटा है, परन्तु एक रुपया आठ आना प्रति घंटा सहायता के रूप में मान लिया जाता है।

(१२) कलक्टर बस्ती को यह अधिकार है कि वे टेस्ट वर्क्स के लिये स्वीकृत धन-राशि का प्रयोग जिले के पुराने तालाबों को गहरा कराने अथवा नये तालाबों के खुदवाने में व्यय कर सकें। इस व्यवस्था के कारण बहुत से तालाबों की खुदायी हुई है और आशा है कि वर्षों के जल का संचय करके ये तालाब आवश्यकता के समय अत्योपयोगी सिद्ध होंगे।

(१३) कुआरी तथा अगहनी धान के बीजों का भी प्रबंध किया गया है। किसानों के लिये न केवल बीज उपलब्ध कर दिया गया है, वरन् बीज को क्रय करने के लिये तकावी भी दी जाती है।

(१४) पशुचर के लिये राजकीय बन सर्व जन सुलभ कर दिये गये हैं।

नत्थी "ग"

(देखिये ७ जुलाई, १९५२ ई०, के तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

क्रम सं०	नाम	पद जिनसे वर्तमान पद पर नियुक्ति हुई है
१—	श्री रामकेर सिंह	ऐडिशनल कमिश्नर, मेरठ।
२—	श्री प्रेम प्रकाश भटनागर	रीजनल इलेक्टोरल आफ़िसर, हेड क्वार्टर्स, लखनऊ।
३—	श्री मुहम्मद सुल्तान हसन खां	ऐडिशनल कमिश्नर, आगरा।
४—	श्री अहमद मोबीन	स्थानापन्न डिप्टी कमिश्नर, सुलतानपुर।
५—	श्री रियाजुल हसन	स्थानापन्न मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर, जालौन।
६—	श्री अमजद अली	ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा ऐडिशनल कलक्टर, आगरा।
७—	श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह	अवकाश प्राप्त मैजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर।
८—	श्री मोहम्मद जहीर	डिप्टी लैंड रिफार्म्स कमिश्नर (कम्पन्सेशन), लखनऊ।
९—	श्री मक्खन लाल केला	ऐडिशनल कमिश्नर, बनारस गोरखपुर डिवीजन, बनारस।
१०—	श्री नजमुल हसन	ऐडिशनल कमिश्नर, लखनऊ फैजाबाद डिवीजन, फैजाबाद।
११—	श्री मोहम्मद हसन अख्तर अंसारी	स्थानापन्न डिप्टी कमिश्नर, बीसी।
१२—	श्री केशवचन्द शुक्ल	ऐडिशनल कमिश्नर, इलाहाबाद-झांसी डिवीजन इलाहाबाद।
१३—	श्री नरेन्द्र सिंह सरोही	स्थानापन्न मैजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर, मिर्जापुर।

नत्थी "घ"

(देखिये ७ जुलाई, १९५२, के तारांकित प्रश्न सं० ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

प्रथम श्रेणी—वे कर्मचारी जो प्रतिकर निर्धारण के लिये नियुक्त किये जावेंगे

क्रम सं०	पद	संख्या	कार्य-काल
१	अकाउन्ट्स आफिसर	९	सम्पूर्ण वर्ष १९५२–५३ के लिये।
२	अकाउन्ट्स स्टाफ	७२	सम्पूर्ण वर्ष १९५२–५३ के लिये।
३	नायब तहसीलदार	२००	६ महीने के लिये।
४	क्लर्क तथा मुहर्रिर	७०	जून, १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक।
		६४७	जुलाई, १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक।
		३,८८६	४ महीने के लिये।
५	चपरासी आदि कर्मचारी	३६	सम्पूर्ण वर्ष के लिये।
		४२	जून, १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक।
		२००	१ जुलाई, १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक।

रीजनल असिस्टेंट कम्पेन्सेशन कमिश्नरों तथा अकाउन्ट्स आफिसरों के कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है। बाकी कर्मचारियों की नियुक्ति जुलाई, १९५२ में होगी।

द्वितीय श्रेणी—वे कर्मचारी जो मालगुजारी वसूली के लिये नियुक्त होंगे।

क्रम सं०	पद	संख्या	कार्य-काल
१	कलेक्शन आफिसर	४५	नियुक्ति के दिन से ३१ मार्च, १९५३ तक।
२	नायब तहसीलदार	२००	सम्पूर्ण वर्ष के लिये।
		६००	६ महीने के लिये।
३	क्लर्क	१३७	सम्पूर्ण वर्ष के लिये।
		१,५५०	सम्पूर्ण वर्ष के लिये।
		२,७००	६ महीने के लिये।
		४४७	६ महीने के लिये।
४	चपरासी आदि कर्मचारी	८९०	सम्पूर्ण वर्ष के लिये।
		६००	६ महीने के लिये।

उपरोक्त कर्मचारी खरीफ की लगान वसूली के पहिले नियुक्त किये जावेंगे।

नत्थी "ड"

(देखिये ७ जुलाई, १९५२, के तारांकित प्रश्न सं० ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

श्रेणी	क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	पदों की संख्या अस्थाई	वेतन क्रम
गजेटेड	१	केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश	१	...	आई० ए० एस० स्केल तथा १५० रुपया स्पेशल तनख्वाह।
	२	डेवलप्मेंट कोआर्डीनेशन आफिसर, उत्तर प्रदेश	...	१	५००-५०-१,००० ई० बी० ५०-१,२००।
	३	मार्केटिंग कोआर्डिनेशन आफिसर		१	" "
	४	असिस्टेन्ट केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश	१	१	२५०-४०० ई० बी० ३०-७०० ई० बी० ५०-८५० तथा ५०रु० स्पेशल तनख्वाह।
	५	रेंज कोआर्डीनेशन आफिसर और डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर	८	२	२५०-२५-४०० ई० बी० ३०-७०० ई० बी० ५०-८५०।
नान-गजेटेड (अ) फील्ड स्टाफ	६	डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर और एडिशनल केन आफिसर	८	१३	२००-१५-३५०।
	७	केन प्रोटेक्शन इन्सपेक्टर		५	" "
	८	टेक्निकल असिस्टेन्ट	...	१	" "
	९	स्टेटिस्टिक असिस्टेंट	...	२	" "
	१०	सीनियर एण्टोमोलोजिकल असिस्टेंट	...	१	" "
	११	सीनियर माइकोलोजिकल असिस्टेंट	...	१	" "

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रेणी	क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	पदों की संख्या अस्थायी	वेतन क्रम
नान-गजेटेड (अ) फील्ड स्टाफ	१२	सीनियर केमिकल असिस्टेंट	...	१	२००-१५-३५०।
	१३	रीजनल पब्लिसिटी आफिसर	...	१	" "
	१४	मेन्युअर आफिसर	...	१	" "
	१५	असिस्टेंट केन डेवलप्मेंन्ट आफिसर	९४	४८	१२०-६-२१० ई० बी० १०-२५०।
	१६	इन्सट्रक्टर्स	...	६	" "
	१७	जुनियर केमिकल असिस्टेंट	..	४	" "
	१८	जूनियर एग्रोनोमिकल असिस्टेंट	...	१२	" "
	१९	आडिट सुपरवाइजर	...	५	" "
	२०	आडिटर	५०	१०	७५-५-१२०।
	२१	जूनियर असिस्टेन्ट कैन डेवलप्मेंट आफिसर	४८	...	" "
	२२	सुपरवाइजर	...	५६०	" "
	२३	सीड स्टोर सुपरवाइजर	...	६२	४०-२-६० ई० बी ४-८०।
(ब) मिनिस्ट्रियल स्टाफ—					
	२४	एकाउन्टस् आफिसर	१	...	२००-१०-२५० ई० बी० १०- ३५०-ई० बी० १४-४५०।
	२५	हेड असिस्टेंट	१	...	३००-२०-४००।
	२६	रेंज एकाउण्टेण्ट	५	१	१५०-१०-२५०-ई० बी० १०- ३५०।
		एकाउण्टेण्ट	...	१	" "

श्रेणी	क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	पदों की संख्या अस्थायी	वेतन क्रम
(ब) मिनिस्ट्रीयल स्टाफ	२७	हेड क्लर्क	५	...	१००-५-१४०-१०-१७०।
	२८	स्टेनोग्राफर केन कमिश्नर के लिये	१	...	१००-५-१५०-ई०बी० १०-२००-ई० बी० २०-२४०।
	२९	स्टेनोग्राफर, डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेशन आफिसर तथा मार्केटिंग कोआर्डिनेशन आफिसर के लिये	०	२	१००-५-१२५-ई०बी० ५-१६०-ई० बी १०-२००।
	३०	सीनियर असिस्टेन्ट	२	२	६०-४-१०० ई० बी० ५-१५० तथा २५ रुपया स्पेशल तनख्वाहें।
	३१	लाइब्रेरियन	...	१	
	३२	स्टेटिस्टीशियन	१	...	७५-५-१२० ई० बी० ८-२००।
	३३	क्लर्क	५	३२	८०-५-१००-६-१३०।
	३४	स्टेनोग्राफर असिस्टेन्ट केन कमिश्नर के लिये	१	...	७५-५-९५ ई० बी० ५-१५०।
	३५	क्लर्क	१६	३	६०-४-१०० ई० बी० ५-१५०।
	३६	क्लर्क	१०६	६६	६०-३-९० ई० बी० ४-११०।
मिसलेनियस स्टाफ	३७	पब्लिसिटी इन्सपेक्टर (टेक्निकल)	..	१	१२०-८-२१० ई० बी० १०-२५० (एक्सचेंज)।
	३८	आर्टिस्ट	..	१	१५०-५-२००।
	३९	सिनेमा पब्लीसिटी वेन ड्राइवर	..	२	४५-३-५५-ई० बी ०३-८०।

श्रेणी	क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	वेतन क्रम
मिस्लेनियस स्टाफ	४०	ट्रक ड्राइवर	..	६	४५–२–६५ ई० बी० ३–८०
	४१	सिनेमा आपरेटर	..	२	४०–२–५०–ई० बी० २–८०
इन्फीरियर स्टाफ	४२	कामवार	..	१,५५२	३०–१–३५
	४३	दफ्तरी	१०	२	,, ,, ,,
	४४	बस्ता बरदार	..	१	,, ,, ,,
	४५	पोर्टर	५०	१५	२५–१/२–३० या २० १/२ २५
	४६	चौकीदार	..	११	२५ १/२३०
	४७	मेहतर	..	७	,, ,,
	४८	चपरासी और अर्दली	१९६	४७	२५– १/२ ३० या २०– १/२ २५
	४९	एटेण्डेण्ट	..	१९	,, ,,
	५०	क्लीनर	..	८	,, ,,
	५१	जमादार	१	..	३०–१–३५

नत्थी 'च'

(देखिये ७ जुलाई, १९५२, के अतारांकित प्रश्न सं० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६ पर)

गत पांच वर्षों में कृषि महाविद्यालय कानपुर में नियुक्त अध्यापकों की सूची

तारांकित व्यक्ति इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं।

१—श्री डी० आर० वर्मा*
२—श्री बी० पी० श्रीवास्तव*
३—श्री जी० डी० पचौरी*
४—श्री बी० पी० सिंह
५—श्री पी० बी० लाल माथुर
६—श्री बोध नाथ सिंह
७—श्री भूपेन्द्र बहादुर
८—श्री भीराम सिंह बन्देल
९—श्री एन० एल० अग्रवाल*
१०—श्री एस० बी० श्रीवास्तव
११—श्री एस० एन० शर्मा*
१२—श्री एम० जी० मिश्र*
१३—श्री एम० जी० अग्रवाल*
१४—श्री के० पी० श्रीवास्तव
१५—श्री मोहिन्द्र सिंह खालसा*
१६—श्री रमा शंकर सिंह*
१७—श्रीरामपाल सिंह*
१८—श्री ए० एन० पाठक*
१९—श्री आर० एस० मिश्र
२०—श्री के० डी० पाण्डेय
२१—श्री ओ० एस० जौहरी*
२२—श्री विद्यासागर*
२३—डा० टी० एन० शिवपुरी
२४—डा० एस० पी० डोगरयाल*
२५—डा० एस० एस० सक्सेना*
२६—डा० बाबू सिंह
२७—श्री बी० के० सिंह
२८—श्री एस० ए० खन्ना
२९—डा० वी० एस० छोंकर*
३०—डा० बी० एन० पी० घिलदयाल*
३१—श्री पी० एन० बाजपेयी*

पी एच यू० पी० ए० पी० ४८ एल० ए० १९५२—८५० ।